www.dhyeyaias.com

अक्टूबर 2020 | अंक 02

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

ध्येय IAS की एक नई पहल

1 भारतीय पर्यटन उद्योग

चुनौतियाँ एवं अवसर

2 सिंधु जल समझौता शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का एक बेहतर उदाहरण

3 अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं के अधिकार एवं जिम्मेदारियाँ

4 संसदीय समितियाँ: विधायिका के आवश्यक अवयव

5 भारतीय रेलवे में भिक्षावृत्ति को वैधानिक करने का प्रस्ताव

6 राष्ट्रीय वन नीतिः नवीनीकरण की आवश्यकता

7 भारतीय शहरों में वर्षा जल संरक्षण की जरूरत

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

ध्येय IAS : एक परिचय

विनय कुमार सिंह
संस्थापक एवं सी.ई.ओ.

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

क्यू. एच. खान
प्रबंध निदेशक

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहाँ छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

Perfect 7 : एक परिचय

कुरबान अली
मुख्य संपादक

मैं उत्साहपूर्वक यह बताना चाहता हूँ कि 'Perfect 7' का नया स्वरूप छात्रों एवं पाठकों के लिए और अधिक जानकारियों को एक अत्यंत आकर्षक स्वरूप में लेकर सामने आ रहा है। इस कार्य के लिए संपादकीय दल को मेरी सुभेच्छा। शुरूआत से ही ध्येय IAS द्वारा रचित 'Perfect 7' को पाठकों का बेहद प्रेम और स्नेह मिलता रहा है। किसी भी संस्था का नाम एवं प्रसिद्धि उसके छात्रों एवं शिक्षकों की दक्षता एवं उपलब्धियों पर निर्भर करती है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य उसके छात्रों की क्षमताओं का निर्माण कर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करना होता है, उसी क्रम में यह पत्रिका इस संस्थान की शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उसके छात्रों एवं पाठकों में समसामयिकी मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने के लक्ष्य को लेकर प्रकाशित की जा रही है जिसके द्वारा विभिन्न प्रबुद्ध शिक्षकों, लेखकों एवं छात्रों को एक मंच पर सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि वे अपने नवाचार युक्त विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें।

इस क्रम में किये जा रहे कठिन परिश्रम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

आशुतोष सिंह
प्रबंध संपादक

हमने अपनी साप्ताहिक पत्रिका का ना केवल नाम 'Perfect 7' रखा है, बल्कि उसे 'परफेक्ट' बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी किया है। यह सर्वविदित है कि किसी कार्य की शुरूआत सबसे चुनौतीपूर्ण होती है और सबसे महत्वपूर्ण भी। इसलिए यह स्थिति हमारे सामने भी आयी।

हमारे लिए यह चुनौती और भी बड़ी इसलिए साबित हुई क्योंकि हमने अपनी पत्रिका की गुणवत्ता के लिए अत्यधिक उच्च मानक तय किया। हमने शुरूआत में ही तय कर लिया था कि हम पत्रिका के नाम पर प्रतिभागियों को 'सूचनाओं का कचरा' नहीं प्रदान करेंगे। हमने यह निश्चय किया कि सिविल सेवा की परीक्षा को केंद्र में रखते हुए, हम उन्हें 'Perfect 7' के रूप में वह रामबाण देंगे जो सीधे लक्ष्य को भेदेगा। इसके लिए हमने 'मल्टी फिल्टर' और 'सिक्स सिगमा' प्रणाली को अपनाया जिसके तहत अलग-अलग स्तरों पर चर्चा कर अंततः उन विषयों और मुद्दों को इसमें समाहित किया जाता है जहाँ से परीक्षा में प्रश्नों का पूछा जाना अधिसंभाव्य है।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर गलतियों को दूर कर 'Perfect 7' को त्रुटिहीन, प्रवाहपूर्ण और आकर्षक रूप से आपके सामने लाया जाता है। गुणवत्तापूर्ण सामग्री देने के अतिरिक्त, समयबद्ध रूप से इसको आपके समक्ष लाना भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। हमें इस बात का बेहद हर्ष एवं गर्व है कि पहले अंक से लेकर इस अंक तक कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं रहा जब 'Perfect 7' अपने तय समय पर प्रकाशित न हुई हो।

'Perfect 7' का यह जो नया संस्करण हम आपके सामने ला रहे हैं, इसमें हमारे परिश्रम से कहीं ज्यादा आपके प्रेम और स्नेह की भूमिका है जिसकी वजह से हम बिना रूके, बिना थके प्रत्येक सप्ताह आपके लिए यह पत्रिका प्रकाशित करते हैं। आपकी शुभकामनाओं से यह क्रम आगे भी जारी रहेगा।

प्रस्तावना

हमने **'PERFECT 7'** पत्रिका को सिविल सेवा परीक्षा के प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया है। सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का चयन कर **'PERFECT 7'** में सात महत्वपूर्ण मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सात ब्रेन बूस्टर्स, सात महत्वपूर्ण तथ्य, पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं सात महत्वपूर्ण ग्राफिक्स के माध्यम से संकल्पनाओं का समावेशन **'PERFECT 7'** को सिविल सेवा परीक्षा के लिए 'गागर में सागर' साबित करता है।

'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों का संकलन करते समय उन मुद्दों के पक्ष, विपक्ष, विशेषताओं तथा उनसे भारत एवं विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, ताकि छात्र उन मुद्दों के बारे में एक समझ विकसित कर सकें। **'PERFECT 7'** के सात महत्वपूर्ण खबरों के जरिए छात्रों को सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इस पत्रिका के सात महत्वपूर्ण तथ्यों एवं पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए हम अपने छात्रों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा के सभी पहलुओं को समाहित करना है। **'PERFECT 7'** के सात ब्रेन बूस्टर्स के जरिए समसामयिक विषयों की जानकारी संक्षेप में एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत की जाती है जिससे कि छात्रों द्वारा इसे सरलता से आत्मसात किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। अन्य पत्रिकाओं की भांति हम छात्रों को केवल सतही जानकारी उपलब्ध कराने में विश्वास नहीं रखते बल्कि सारगर्भित बहुपक्षीय और त्रुटिरहित जानकारी प्रदान करने का अथक प्रयास करते हैं जिससे सिविल सेवा में हमारे छात्र सफलता अर्जित कर सकें, क्योंकि छात्रों की सफलता ही हमारी पत्रिका की कसौटी है। हमने अपने अथक प्रयास एवं परिश्रम के जरिए **'PERFECT 7'** पत्रिका को 'परफेक्ट' बनाने का कार्य किया है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो उसे सुधारने में आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

जीत सिंह
सम्पादक, ध्येय **IAS**

संघ लोक सेवा आयोग व अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा में विगत कुछ वर्षों से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित प्रश्नों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। इसकी पुष्टि विगत वर्षों में संपन्न हुई परीक्षाओं के प्रश्न पत्र से की जा सकती है। इसलिए हमने **'PERFECT 7'** पत्रिका के माध्यम से उन मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया है, जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। **'PERFECT 7'** पत्रिका न केवल प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा के लिए उपयोगी है, बल्कि यह साक्षात्कार के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। इसमें समसामयिक घटनाओं को बेहद रोचक ढंग से तालिका,फ्लोचार्ट एवं चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। **'PERFECT 7'** के सात महत्वपूर्ण मुद्दों को संकलित करते समय हमारा प्रयास न केवल उन मुद्दों के सभी पहलुओं अर्थात् एक स्पष्ट विश्लेषणात्मक सांचे में ढालने का रहा है बल्कि ऐसे मुद्दों का इसमें विस्तृत विवेचन भी किया गया है, जिनका अन्य समसामयिक पत्रिकाओं में जिक्र तक नहीं होता है। **'PERFECT 7'** के सात ब्रेन बूस्टर्स के माध्यम से समसामयिक विषयों की जानकारी को बेहद सटीकता व आकर्षक रूप से प्रस्तुत किया गया है, जिससे छात्रों को कम समय में भी उपयोगी जानकारी सुलभ हो सके। इसके अतिरिक्त **'PERFECT 7'** पत्रिका में सात महत्वपूर्ण खबरें, सात महत्वपूर्ण पीआईबी, सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न व सात महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश भी किया गया है। इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी भी पत्रिका में तथ्यों की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी गुणवत्ता होती है, इसलिए इसी सिद्धांत का अनुपालन करके हमने सारगर्भित रूप में यह पत्रिका आपके सम्मुख प्रस्तुत की है, चूंकि कोई भी कृति अंतिम नहीं होती है, उसमें सुधार की सदैव संभावनाएँ विद्यमान रहती हैं। अतः सभी छात्रों से अनुरोध है कि अपने बहुमूल्य सुझावों व समालोचनाओं से हमें अवगत कराएं।

अवनीश पाण्डेय
सम्पादक, ध्येय **IAS**

www.dhyeyaias.com

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

ध्येय IAS की एक नई पहल

अक्टूबर 2020 | अंक 02

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

ध्येय टीम

संस्थापक एवं सी.ई.ओ.	➢ विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक	➢ क्यू. एच. खान
मुख्य संपादक	➢ कुरबान अली
प्रबंध संपादक	➢ आशुतोष सिंह
संपादक	➢ जीत सिंह ➢ अवनीश पाण्डेय ➢ ओमवीर सिंह चौधरी ➢ रजत झिंगन
संपादकीय सहयोग	➢ प्रो. आर. कुमार
मुख्य लेखक	➢ अजय सिंह ➢ अहमद अली ➢ स्वाती यादव ➢ स्नेहा तिवारी
लेखक	➢ अशरफ अली ➢ गिरराज सिंह ➢ हरिओम सिंह ➢ अंशुमान तिवारी
समीक्षक	➢ रंजीत सिंह ➢ रामयश अग्निहोत्री
आवरण सज्जा एवं विकास	➢ संजीव कुमार झा ➢ पुनीश जैन
विज्ञापन एवं प्रोन्नति	➢ गुफरान खान ➢ राहुल कुमार
प्रारूपक	➢ कृष्ण कुमार ➢ कृष्णकांत मंडल ➢ मुकुन्द पटेल
कार्यालय सहायक	➢ हरीराम ➢ राजू यादव

Content Office

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

DHYEYA IAS
302, A-10/11, Bhandari House,
Near Chawla Restaurants,
Dr. Mukherjee Nagar,
Delhi-110009

विषय सूची

7 महत्वपूर्ण मुद्दे एवं उन पर आधारित विषयनिष्ठ प्रश्न — 01–15

- भारतीय पर्यटन उद्योग: चुनौतियाँ एवं अवसर
- सिंधु जल समझौता: शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का एक बेहतर उदाहरण
- अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं के अधिकार एवं जिम्मेदारियाँ
- संसदीय समितियाँ: विधायिका के आवश्यक अवयव
- भारतीय रेलवे में भिक्षावृत्ति को वैधानिक करने का प्रस्ताव
- राष्ट्रीय वन नीति: नवीनीकरण की आवश्यकता
- भारतीय शहरों में वर्षा जल संरक्षण की जरूरत

7 महत्वपूर्ण ब्रेन बूस्टर्स — 16–22

7 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर (ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित) — 23–24

7 महत्वपूर्ण खबरें — 25–29

7 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) — 30

7 महत्वपूर्ण तथ्य (प्रारंभिक परीक्षा हेतु) — 31

7 महत्वपूर्ण उक्तियाँ (निबंध एवं उत्तर लेखन के लिए उपयोगी) — 32

OUR OTHER INITIATIVES

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...
Hindi & English Current Affairs Monthly News Paper

DHYEYA TV
Current Affairs Programmes hosted by Mr. Qurban Ali
(Ex. Editor Rajya Sabha, TV) & by Team Dhyeya IAS
(Broadcasted on YouTube & Dhyeya-TV)

7 महत्वपूर्ण मुद्दे

01 भारतीय पर्यटन उद्योग : चुनौतियाँ एवं अवसर

चर्चा का कारण

- 27 सितंबर को दुनिया भर में विश्व पर्यटन दिवस (World Tourism Day) की 40वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस दिवस के आयोजन का मुख्य लक्ष्य विश्व भर के लोगों को पर्यटन के प्रति जागरूक करना है।

पृष्ठभूमि

- पर्यटन आज दुनिया का सबसे बड़ा उद्योग बन गया है। इस संदर्भ में भारत की प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहर, उसे पर्यटन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्षेत्र बनाती है। आज भारत विभिन्न श्रेणी के पर्यटन के लिए जाना जाता है, जैसे कि साहसिक पर्यटन (Aadventure tourism) चिकित्सा पर्यटन, पारिस्थितिकी पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, आदि।
- ज्ञातव्य है कि भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक के प्रत्येक क्षेत्र की अपनी विशिष्टता और संस्कृति है।
- ये क्षेत्र अपने ठंड और गर्म रेगिस्तान, नदियों (गंगा और ब्रह्मपुत्र), वन और उत्तर पूर्व द्वीपों (अंडमान और निकोबार), पर्वत व पठारों आदि प्राकृतिक विशेषताओं से पर्यटकों को आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं।
- साथ ही यहाँ के परिदृश्य में पाये जाने वाले व्यापक विविधता और सांस्कृतिक विरासत विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए कई विकल्प प्रदान कर रहे हैं।

विश्व पर्यटन दिवस

- इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को यह बताना है कि पर्यटन किस तरह से रोजगार निर्माण, स्थाई समाज तथा समावेशी विकास हेतु जरूरी है और पर्यटन कैसे प्राकृतिक संसाधनों और सांस्कृतिक विरासतों के संरक्षण के लिए भी अहम हैं साथ ही आगामी भविष्य के निर्माण में पर्यटन की क्षमताओं को पहचानने का एक अवसर प्रदान करता है।
- यह दिवस विश्वभर के लोगों में आपसी समझ बढ़ाने में सहायता कर सकता है विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर विश्वभर में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। विश्व पर्यटन दिवस का एक मुख्य उद्देश्य यह भी है की पर्यटन को बढ़ावा देना और पर्यटन के द्वारा अपने देश की आय को बढ़ाना है।
- विश्व पर्यटन दिवस समारोह संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा 1980 में शुरु किया गया जो प्रत्येक वर्ष 27 सितम्बर को मनाया जाता है। यह विशेष दिन इसलिये चुना गया क्योंकि इस दिन 1970 में यू.एन.डब्ल्यू.टी.ओ. के कानून प्रभाव में आये थे जिसे विश्व पर्यटन के क्षेत्र में बहुत बडा मील का पत्थर माना जाता है। इसका लक्ष्य विश्व पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय समुदायों के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक मूल्यों को वैश्विक स्तर पर कैसे प्रभावित करता है के बारे में लोगों को जागरुक करना है।
- यूएनडब्ल्यूटीओ संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है जो जिम्मेदार, टिकाऊ और सार्वभौमिक रूप से सुलभ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है।
- विदित हो कि भारत ने वर्ष 2019 में इस दिवस की मेजबानी की थी।

विश्व पर्यटन दिवस का महत्व

- वर्तमान समय में, पर्यटन क्षेत्र के बारे में जागरूकता बढ़ाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि 90% वर्ल्ड हेरिटेज साइटें महामारी के परिणामस्वरूप बंद हो गई हैं।
- यह ग्रामीण और साथ ही बड़े शहरों में महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार और अवसर प्रदान करने में पर्यटन क्षेत्र के महत्व को दर्शाता करता है।
- वैश्विक व्यापार में पर्यटन उद्योग ने वर्ष 2019 के आँकड़ों के अनुसार, कुल 7 प्रतिशत का योगदान दिया था अर्थात प्रत्येक दस में से एक व्यक्ति को रोजगार प्राप्त हुआ था।

COVID-19 महामारी का प्रभाव

- अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बंद होने, होटल बंद होने और हवाई यात्रा में गिरावट आने आदि के कारण वर्ष 2020 के पहले पाँच महीनों में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की आवाजाही में कुल 56 प्रतिशत की कमी देखी गई है, जो कि वर्ष 2009 के वैश्विक आर्थिक संकट से भी तीन गुना अधिक है।
- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पर्यटन क्षेत्र पर शायद सबसे अधिक विपरीत प्रभाव कोरोना महामारी के दौरान देखने में आया है एवं कोरोना महामारी का असर विश्व के सभी देशों के पर्यटन स्थलों पर पड़ा है।
- इसके चलते विभिन्न देशों में राजस्व, रोजगार एवं अर्थव्यवस्था तीनों को बहुत भारी नुकसान हो रहा है। वस्तुत: पर्यटन उद्योग एक ऐसा क्षेत्र है जिसे कोरोना महामारी के कारण सर्वाधिक नुकसान हुआ है।
- कोरोना महामारी के पूर्ण रूप से खत्म होने पर ही पर्यटन उद्योग में सुधार देखने को मिलेगा क्योंकि लोग जब तक स्वयं को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे तब तक यात्रा के लिए घरों से बाहर ही नहीं निकलना चाहेंगे और वैसे भी

पर्यटन, लोगों के लिए दरअसल एक मूलभूत आवश्यकता की श्रेणी का कार्य नहीं है।

- सामान्यत: पर्यटन तो फुर्सत के क्षणों में किया जाता है, जब सभी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। आज की विशेष परिस्थितियों में तो पर्यटन वैसे भी अंतिम प्राथमिकता की श्रेणी का कार्य बन गया है।

भारत और पर्यटन

- वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स (TTCI) में भारत की रैंकिंग 2015 में 52 वें स्थान से बढ़कर 2019 में 34 वें स्थान पर है।
- 2018 के दौरान, भारत में विदेशी पर्यटक आगमन (एफटीए) 10.56 मिलियन था, जो जनवरी-नवंबर 2019 के दौरान साल-दर-साल 5.20 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त कर रहा था।
- भारत में यात्रा और पर्यटन क्षेत्र में 2017 में देश में उत्पन्न कुल रोजगार के अवसरों का 8 प्रतिशत हिस्सा था, उसी वर्ष के दौरान लगभग 41.6 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान किया गया। 2028 तक यह संख्या 2 प्रतिशत वार्षिक बढ़कर 52.3 मिलियन हो जाएगी।
- अंतर्राष्ट्रीय होटल श्रृंखलाएं देश में अपनी उपस्थिति बढ़ा रही हैं, तथा यह भारत के पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में 2020 तक लगभग 47 प्रतिशत हिस्सा और 2022 तक 50 प्रतिशत होगा।
- उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2000-जून 2019 की अवधि के दौरान, होटल और पर्यटन क्षेत्र ने FDI के लगभग 12.99 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया
- इसके अलावा आज भी विश्व के कुछ देशों में जैसे श्रीलंका, नेपाल, भूटान, म्यांमार आदि जहाँ हिन्दू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अनुयायी बड़ी संख्या में रहते हैं। इन धर्मों के प्रवर्तक का जन्मस्थली होने के कारण बड़ी संख्या में यहाँ पवित्र और धर्मिक पर्यटन स्थल हैं, जिससे दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशियाई देशों के पर्यटक काफी संख्या में आकर्षित हो रहे हैं।

भारतीय पर्यटन उद्योग से संबंधित समस्याएँ

- **प्रवेश/निकास:** ई-वीजा सुविधा के आरम्भ के उपरांत भी आगंतुक वीजा के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को बोझिल मानते हैं। इसके अतिरिक्त ई-वीजा सुविधा के विषय में लोगों में जागरूकता कम है। इसके साथ ही, चिकित्सा ई-वीजा धारकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि बार बार आने के लिए वीजा सीमित संख्या प्रदत्त होते हैं इसके साथ ही रोगी के सहायक हेतु वीजा की प्रक्रिया बोझिल है।
- **इन्फ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी:** इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी तथा कुछ विरासत स्थलों के लिए कनेक्टिविटी की कमी पर्यटकों की अपर्याप्त यात्रा का कारन बनता है।
- **पर्यटन क्षेत्र या सर्किट:** भारत में विभिन्न पर्यटन स्थल हैं, परन्तु मात्रा कुछ ही सर्किट जैसे स्वर्ण त्रिभुज (दिल्ली-आगरा-जयपुर) उपलब्ध हैं।
- **प्रचार और विपणन:** यद्यपि इसमें वृद्धि हो रही है परन्तु यह मात्र ऑनलाइन विपणन / ब्रांडिंग तक सीमित है तथा अन्य अभियान समन्वित नहीं हैं। पर्यटक सूचना केंद्रों के प्रबंधन में समस्याएं हैं , जिससे घरेलू और विदेशी पर्यटकों को आसानी से जानकारी प्राप्त करना कठिन हो जाता है।
- **कौशल:** पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या में कमी आगंतुकों को विश्व स्तरीय आतिथ्य का अनुभव देने हेतु एक महत्वपूर्ण चुनौती है। सीमित संख्या में बहुभाषी प्रशिक्षित मार्गदर्शिकाएँ, सीमित स्थानीय जागरूकता और पर्यटकों की वृद्धि से जुड़े लाभों और जिम्मेदारियों की समझ का अभाव इस क्षेत्र की वृद्धि में बाधक के रूप में कार्य करती है।

आगे की राह

- केंद्र एवं राज्य सरकारों के अलावा निजी क्षेत्र के बीच बेहतर जुड़ाव की जरूरत है। इन सबसे बढ़कर पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- 'यह अच्छा संकेत है कि मौजूदा सरकार ने 2014 में ही इसकी संभावनाएं पहचानकर पांच वर्षों के दौरान इस मोर्चे पर काफी काम किया था, जिसे निरंतर गति देना आवश्यक है।
- अतुल्य भारत और 'अतिथि देवो भव: जैसे स्लोगनों को व्यापक योजनाओं के साथ प्रचारित करना चाहिए। इसके तहत बड़ी संख्या में किफायती होटलों का निर्माण, मनोरंजन के लिए भी नये किस्म के विकल्प तैयार किये जाने चाहिए।
- अधिक-से-अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये एडवेंचर टूरिज्म (Adventure Tourism) पर भी फोकस किया जाना चाहिए।
- पर्यटन विकास के मामले में देश के कुछ राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ऐसे में पर्यटन के जरिए आर्थिक विकास को गति देने वाले राज्यों से सबक लिया जाना चाहिए।
- उड़ान (UDAN) योजना को ज्यादा से ज्यादा हवाई अड्डों तक बढ़ाया जाना चाहिए। इसके लिए निजी क्षेत्र को इसे बेहतर बनाने में मदद करनी चाहिए।
- सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India-ASI) की सहायता से अपने धरोहर स्थलों के लिये प्रस्ताव बनाते समय यूनेस्को (UNESCO) के मानकों का पालन सुनिश्चित करना चाहिए।
- महामारी की समाप्ति के बाद सरकार को विरासत स्थलों की स्वच्छता के विषय पर विशेष ध्यान देना होगा ताकि भारतीय विरासत स्थलों की ओर पर्यटकों का ध्यान आकर्षित किया जा सके। साथ ही सरकार घरेलू पर्यटन उद्योग को भी प्रोत्साहित करना चाहिये।

सामान्य अध्ययन पेपर-3

Topic:

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित मुद्दे।

प्र. हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया, यह दिवस कोरोना वायरस के कारण विश्व भर में पर्यटन क्षेत्र में आयी मंदी को कम करने में किस प्रकार सहायक हो सकता है? चर्चा करें।

02 सिंधु जल समझौता : शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का एक बेहतर उदाहरण

चर्चा का कारण

- सिंधु नदी जल बटवारें को लेकर हुए समझौते को 60 साल पूरे हो चुके हैं। 19 सितंबर 1960 को हुए इस समझौते में भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। इस समझौते को दुनिया में अक्सर शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की संभावनाओं के उदाहरण के रूप में पेश किया जाता है।

परिचय

- 1947 में भारत के विभाजन के बाद सिंधु नदी प्रणाली का विभाजन अपरिहार्य हो गया था। लंबे समय तक चली बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच तय हुआ कि सिंधु नदी घाटी की नदियों को पूर्वी और पश्चिमी नदियों में विभाजित किया जाये। तीन पश्चिमी नदियों (सिंधु, झेलम और चिनाब) को पाकिस्तान के लिए सुनिश्चित किया गया जबकि तीन पूर्वी नदियां' (सतलज, रावी और ब्यास) का पानी भारत के लिए तय किया गया।
- समान जल-बँटवारा न्याय संगत लग सकता है किन्तु यह तथ्य है कि भारत ने सिंधु नदी जल प्रणाली में कुल जल प्रवाह का 80. 52 प्रतिशत पाकिस्तान को दिया है। इसके अलावा भारत ने पश्चिमी नदियों में नहरों को बनाने में मदद करने के लिए पाकिस्तान को 83 करोड़ रुपये भी दिए।
- यह ऐसी संधि है जो शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की संभावनाओं के रूप में पेश की जाती है, सामान्य शब्दों में कहें तो यह संधि भारत पाकिस्तान के खराब सम्बन्धों के बावजूद भी विद्यमान है। भारत इस जल संधि के प्रावधानों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है किन्तु देश में ही विशेषज्ञों, राजनीतिक दलों एवं आम जनता का मानना है कि पाकिस्तान ने कभी भी भारत के हित में कार्य नहीं किया है बल्कि उसने भारत को अस्थिर करने की पूरी कोशिश की है। ऐसे में भारत को इस संधि के प्रावधानों के बारे में अपनी प्रतिबद्धता में बदलाव करना चाहिए।

सिंधु जल समझौते का अवलोकन

- 1947 के बाद भारत की विकास योजनाओं के लिए पानी महत्वपूर्ण था। इसलिये प्रस्तावित राजस्थान नहर और भाखड़ा बांध के लिये 'पूर्वी नदियों' के जल को प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक था। इसके बिना पंजाब और राजस्थान में सूखा एवं कृषि उपज की भारी कमी जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता था। तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1963 में भाखड़ा नहरों का उद्घाटन करते हुए इसे 'एक विशाल उपलब्धि और राष्ट्र की ऊर्जा और उद्यम का प्रतीक' बताया था। हालांकि वे इस बात को लेकर भी सचेत थे कि भाखड़ा नहरों के निर्माण के कारण पाकिस्तान को जल की आपूर्ति कम नहीं होनी चाहिये। साथ ही उनका मानना था कि पूर्वी नदियों पर भारत के हितों की भी रक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिये। उनका मत था कि जिस प्रकार अमेरिका एवं कनाडा मित्रवत एवं शिष्टाचारपूर्वक साथ रह रहे हैं वैसे ही भविष्य में भारत और पाकिस्तान भी मित्रवत एवं शिष्टाचारपूर्वक साथ रह सकेंगे।
- समझौते के मुताबिक भारत पूर्वी नदियों के पानी का, कुछ अपवादों को छोड़कर, बेरोकटोक इस्तेमाल कर सकता है। वहीं पश्चिमी नदियों के पानी के इस्तेमाल का कुछ सीमित अधिकार भारत को भी दिया गया था। जैसे बिजली बनाना, कृषि के लिए सीमित पानी।
- इस संधि में दोनों देशों के बीच समझौते को लेकर बातचीत करने और साइट के मुआयना आदि का प्रावधान भी था। इसी समझौते के तहत सिंधु आयोग भी स्थापित किया गया जिसके तहत दोनों देशों के कमिश्नरों के मिलने का प्रस्ताव था। यानी दोनों कमिश्नर इस समझौते के किसी भी विवादित मुद्दे पर बातचीत कर सकते हैं और समय-समय पर आपस में मिलेंगे, ऐसा प्रावधान रखा गया था।

विवाद के विषय

- पाकिस्तान का आरोप है कि भारत सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों पर बांध बनाकर पानी का दोहन करता है और उसके इलाके में पानी कम आने के कारण सूखे के हालात रहते हैं। पाकिस्तान भारत की बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं पाकल (1,000 मेगावाट), रातले (850 मेगावाट), किशनगंगा (330 मेगावाट), मियार (120 मेगावाट) और लोअर कलनाई (48 मेगावाट) पर आपत्ति उठाता रहा है। जबकि भारत का कहना है कि हम विश्व बैंक के नियमों के अनुसार जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए इन परियोजनाओं को संचालित कर रहे हैं। पाकिस्तान का कहना है कि, पश्चिमी नदियों पर भारत की परियोजनाएँ संधि के तहत निर्धारित तकनीकी शर्तों का पालन नहीं करती हैं।

- सिंधु जल समझौते के अनुच्छेद XII के अनुसार इस संधि को समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है। यह संधि भारत को अनुमेय भंडारण क्षमता अर्थात 3.6 मिलियन एकड़ फीट (MAF) पानी के दोहन एवं भंडारण की अनुमति देता है। हालाँकि भारत ने अब तक किसी भंडारण इकाई का निर्माण नहीं किया है। जानकारों का मानना है कि भारत ने 2-3 एमएएफ (MAF) पानी को आसानी से पाकिस्तान में प्रवाहित करने की अनुमति दी है, जिसे दोहन करने की आवश्यकता है।

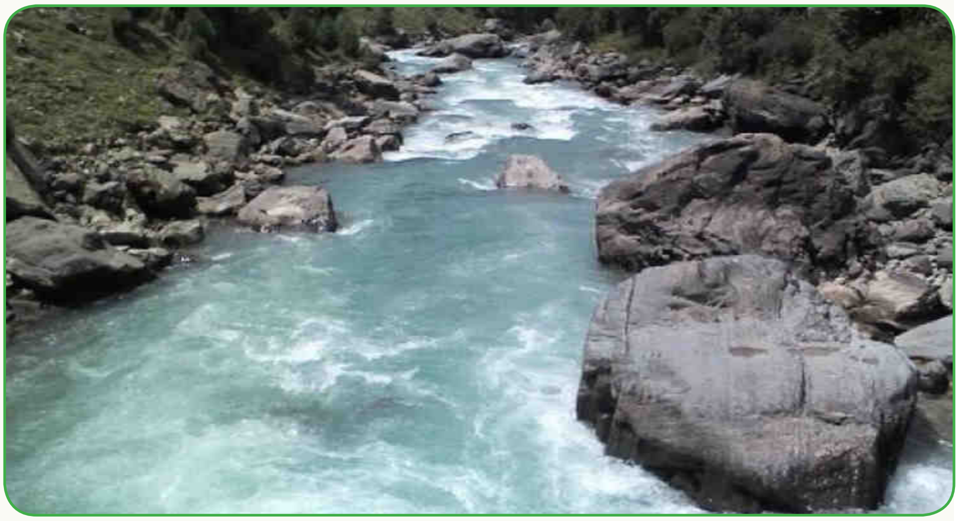

भारत में सिंधु जल समझौता को निरस्त करने की मांग एवं वास्तविकता

- पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवादी घटनाओं के कई उदाहरण हैं-वर्ष 2001 संसद हमला, वर्ष 2008 मुंबई हमला, वर्ष 2016 में उरी और वर्ष 2019 में पुलवामा आदि। इन आतंकवादी घटनाओं के बाद भारत 'वियना समझौते' के लॉ ऑफ ट्रीटीज की धारा-62 के अंतर्गत इस संधि से अलग हो सकता था। हालाँकि, प्रत्येक अवसर पर, भारत ने ऐसा नहीं किया। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कहा है कि अगर मूलभूत स्थितियों में परिवर्तन हो तो किसी संधि को रद्द किया जा सकता है।
- अगर भारत पानी रोकता है तो उसे बांध और कई नहरें बनानी होंगे, जिसके लिए बहुत पैसे और वक्त की जरूरत होगी। इससे विस्थापन की समस्या का समाना भी करना पड़ सकता है और इसके पर्यावरणीय प्रभाव भी होंगे, साथ ही वैश्विक मंच पर भी भारत की जगहंसाई होगी।
- दूसरी ओर भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर भी बट्टा लगेगा। अब तक भारत ने इस अंतर्राष्ट्रीय संधि का कभी भी उल्लंघन नहीं किया। अगर भारत अब पानी रोकता है तो पाकिस्तान को हर मंच पर भारत के खिलाफ बोलने का एक मौका मिलेगा और वह इसे मानवाधिकारों से जोड़ेगा।
- चीन से कई नदियां भारत में आती हैं और आने वाले दिनों में चीन इस मुद्दा बनाते हुए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। पड़ोसी देशों बांग्लादेश और नेपाल के साथ भारत की नदी जल संधियां हैं और इन पर भी इसका असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ऐसे में भारत इसे अकेले खत्म नहीं कर सकता। अगर ऐसा हुआ तो इससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय आलोचनाओं का सामना करना पड़ेगा। साथ ही यह संदेश भी साफ साफ जाएगा कि हम कानूनी रूप से लागू संधि का उल्लंघन कर रहे हैं।

पाकिस्तान के लिए सिंधु जल समझौते का महत्व

- सिंधु दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। इसकी लंबाई 3000 किलोमीटर से अधिक है। सहायक नदियां चिनाब, झेलम, सतलज, राबी और ब्यास के साथ इसका संगम पाकिस्तान में होता है। पाकिस्तान के दो-तिहाई हिस्से में सिंधु और उसकी सहायक नदियां आती हैं। इसके अलावा, पाकिस्तान की 2.6 करोड़ एकड़ जमीन की सिंचाई इन नदियों पर निर्भर है।
- अगर भारत पानी रोक दे तो पाक में पानी संकट पैदा हो जाएगा, खेती और जल विद्युत बुरी तरह प्रभावित होंगे। सिंधु नदी बेसिन करीब साढ़े ग्यारह लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। सिंधु और सतलज नदी का उद्गम चीन में है, जबकि बाकी चार नदियां भारत में ही निकलती हैं। सभी नदियों के साथ मिलते हुए विराट सिंधु नदी कराची के पास अरब सागर में गिरती है।
- पाकिस्तान के दो तिहाई हिस्से में सिंधु और उसकी सहायक नदियां बहती हैं, यानी उसका करीब 65 प्रतिशत भूभाग सिंधु रिवर बेसिन पर है। पाकिस्तान ने इस पर कई बांध बनाए हैं, जिससे वह बिजली बनाता है और खेती के लिए इस नदी के पानी का इस्तेमाल होता है। यानी पाकिस्तान के लिए इस नदी के महत्व को कतई नकारा नहीं जा सकता।

आगे की राह

- भारत सरकार द्वारा सिंधु जल संधि के तहत प्राप्त अपने अधिकारों का प्रयोग कर शीघ्र ही इन पर स्थित एवं बनने वाली परियोजनाओं की कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त विवादों का हल ढूंढ़ने के लिए तटस्थ विशेषज्ञों से सलाह मशविरा करना चाहिए। वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सभी नदियों की तरह सिंधु घाटी की नदियों का जल प्रवाह भी घटा है। इसलिए सिंचाई में किफायती तकनीकों को भी अपनाने पर भारत को विचार करना चाहिए।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:
- भारत एवं इसके पड़ोसी-संबंध।

प्र. सिंधु जल समझौते का संक्षिप्त परिचय देते हुए दोनों देशों के बीच विवाद के बिन्दुओं पर प्रकाश डालें।

03 अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं के अधिकार एवं जिम्मेदारियाँ

चर्चा का कारण

- हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस (21 सितम्बर) मनाया गया। यह दिवस विश्व समुदाय को यह विश्लेषण करने हेतु प्रोत्साहित करता है कि वैश्विक स्तर पर शांति (Peace) व स्थायित्व की स्थिति कैसी है।

अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस

- संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने 21 सितम्बर को अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति दिवस पर दुनिया को यह सन्देश दिया कि " वैश्विक महामारी 'कोविड-19' के कारण दुनिया भर में मची उथल पुथल के दौर में भी हर देश में लोगों को शान्ति कायम रखने को अपनी प्राथमिकता बनाए रखना होगा।"
- यह दिवस सभी देशों और लोगों के बीच स्वतंत्रता, शांति और खुशी का एक आदर्श माना जाता है।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1981 में सितम्बर माह के तीसरे मंगलवार को अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया था और फिर दो दशक बाद सर्वमत से इसे अहिंसा और युद्धविराम की अवधि के रूप में आगे बढ़ाया गया।
- वर्ष 1982 से शुरू होकर 2001 तक सितम्बर महीने का तीसरा मंगलवार 'अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस' या 'विश्व शांति दिवस' के लिए चुना जाता था।
- लेकिन वर्ष 2002 से इसके लिए 21 सितम्बर का दिन घोषित कर दिया गया।
- वर्ष 2020 के अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की थीम है 'मिलकर शांति का निर्माण' (Shaping Peace Together)।
- गौरतलब है कि वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की थीम "शांति के लिए जलवायु कार्रवाई" थी।

परिचय

- वर्तमान में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में युद्ध, हिंसा, आतंकवाद आदि समस्याएँ अपने पैर जमाये हुए हैं। इससे लोगों के जीवन को खतरा व असुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई है।
- विश्व जनसंख्या समीक्षा (World Population Review) की रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2019 में 8 देशों (अफगानिस्तान, यमन, सीरिया, तुर्की, सोमालिया, इराक, मैक्सिको और लीबिया) में हजारों की संख्या में आम लोगों की जान हिंसात्मक हमलों में गयी है।
- रिपोर्ट के मुताबिक, उपर्युक्त आठों देशों में प्रत्येक में से लगभग 1000 आम नागरिकों की जानें गयी हैं।
- विश्व जनसंख्या समीक्षा रिपोर्ट उपर्युक्त के अतिरिक्त, यह भी बताती है कि अगर अफ्रीका महाद्वीप के माघरेब (Maghreb) और साहेल (Sahel) क्षेत्र को सम्मिलित कर लें तो पूरी दुनिया में 25 ऐसे देश हैं जहाँ हिंसात्मक गृह युद्ध जारी है और प्रतिदिन भारी संख्या में लोगों की मृत्यु विभिन्न प्रकार के हिंसात्मक हमलों से हो रही है।
- विश्व जनसंख्या समीक्षा रिपोर्ट की ही भाँति संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी भी कुछ इसी प्रकार के आँकड़ें उपलब्ध कराती है।
- संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2019 के अंत तक लगभग 79.5 मिलियन लोग सशस्त्र संघर्ष (Armed Conflict) एवं अन्य हिंसात्मक कारणों की वजह से विस्थापित हुए थे।
- कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि उपर्युक्त सशस्त्र संघर्ष, गृह युद्ध एवं अन्य हिंसात्मक संघर्ष के पीछे कहीं न कहीं बड़ी वैश्विक शक्तियाँ बड़े देश (यथा-अमेरिका, रूस, चीन आदि) जिम्मेदार हैं।
- बड़ी शक्तियों के इस व्यवहार को 'ग्रेट पॉवर लिटिल रिस्पान्सिबिलिटी' (Great Power Little Responsibility) की संज्ञा दी गयी है अर्थात् बड़े देश या शक्तियाँ वैश्विक शांति व स्थायित्व में अपनी संकीर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

ग्रेट पॉवर लिटिल रिस्पान्सिबिलिटी

- विश्व के जिन क्षेत्रों में अशांति है या वहाँ गृह युद्ध की स्थिति है और यदि इन क्षेत्रों में अमेरिका, रूस, चीन आदि के द्वारा दखलंदाजी की जाती है तो अधिकतर बार ऐसा देखा गया है कि वहाँ स्थितियाँ और भी बिगड़ गयी हैं।
- अफगानिस्तान का उदाहरण ले तो वहाँ गृह युद्ध की स्थिति अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ की दखलंदाजी से उत्पन्न हुई। सोवियत संघ की अफगानिस्तान में स्थिति कमजोर करने हेतु अमेरिका ने तालिबान व पाकिस्तान का सहारा लिया और उन्हें हथियार, पैसा आदि की मदद भी उपलब्ध करायी, जिसके कारण अफगानिस्तान धीरे-धीरे गृह युद्ध में चला गया।
- सीरिया में भी बड़ी शक्तियों ने अपने-अपने गुट को हथियार से लेकर अन्य सभी मदद

उपलब्ध करायी। जहाँ अमेरिका ने कुर्दिश लड़ाकों को मदद उपलब्ध करायी तो वहीं रूस ने सीरिया की असद सरकार का पक्ष लिया। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि युद्ध जरूर सीरिया की धरती पर चला किन्तु असल में यह युद्ध बड़ी शक्तियों का ही था। हालाँकि अभी सीरिया में अपेक्षाकृत शांति है और वहाँ से इस्लामिक स्टेट के आतंकवाद का सफाया हो चुका है, लेकिन सीरिया में अभी भी कुर्द लोगों की समस्या का समाधान नहीं हो सका है। इसके पीछे बड़ी शक्तियों की कमजोर इच्छाशक्ति व संकीर्ण हितों को जिम्मेदार ठहराया जाता है।

- यमन में जहाँ एक तरफ ईरान हाउती शिया विद्रोहियों का समर्थन कर रहा है तो वहीं अमेरिका व अरब क्षेत्र में उसके सहयोगी देश (यथा-सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात आदि) दूसरे पक्ष का साथ दे रहे हैं।
- लीबिया में भी विभिन्न बड़े-बड़े देशों ने अपने हितों के मुताबिक दखलंदाजी दी। रूस ने जहाँ विद्रोहितों व आतंकवादियों (Mercenaries) को हथियार व पैसा उपलब्ध कराये तो वहीं अमेरिका व उसके सहयोगी अरब देशों ने लीबिया में तुर्की के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया, ताकि लीबिया की भू-राजनीति (Geo-Politics) में अपने-अपने संकीर्ण हितों को साधा जा सके।
- जिन विकासशील व गरीब देशों में गृह युद्ध व सशस्त्र संघर्ष की स्थितियाँ बनी हुई हैं, वहाँ चीन भी अपने हितों के मुताबिक हथियार व पैसा उपलब्ध कराता है।
- चीन ने ज्यादातर अपने हथियारों को विकासशील व गरीब देशों की सरकारों को बेचा है ताकि वो अपने यहाँ की जनता की आवाज को दबा सकें या फिर गृह युद्ध की स्थितियों पर काबू पा सकें। चीन के इस प्रयास से संबंधित देश में गृह युद्ध व सशस्त्र संघर्ष ने और भी जोर पकड़ा है।
- दक्षिण सूडान में इस समय गृह युद्ध की स्थितियाँ व्याप्त हैं। दक्षिण सूडान ने अपने यहाँ के नागरिकों के विरुद्ध जिन हथियारों का इस्तेमाल किया है वो चीन से आयातित हैं।
- लोकतांत्रिक गणराज्य काँगों, पाकिस्तान, म्यांमार आदि देश अपने यहाँ की जनता की आवाज को दबाने हेतु चीनी हथियारों व सर्विलांस उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं।

बड़ी शक्तियों के हस्तक्षेप के कारण

- विश्व के बड़े-बड़े देश अपने संकीर्ण हितों व लाभों के चलते विकासशील व गरीब देशों में दखलंदाजी देते हैं ताकि वैश्विक संसाधनों पर उनका नियंत्रण बना रहे।
- कई बार अमेरिका पर ऐसे आरोप लगे हैं कि वह पश्चिम एशिया में 'तेल की राजनीति' करता है अर्थात् अमेरिका को पश्चिम एशिया से तेल की आपूर्ति बाधित न हो, इसलिए वह वहाँ दखलंदाजी देता है।
- विश्व के विभिन्न देशों में अशांति का प्रमुख कारण यह भी है कि बड़े-बड़े हथियार उत्पादककर्त्ता देश (यथा-अमेरिका, रूस, चीन आदि) अपने हथियारों का बाजार इन्हीं अशांत क्षेत्रों या देशों में देखते हैं। जब लोगों में असुरक्षा की भावना प्रबल होगी तभी वो हथियारों की खरीद की ओर उन्मुख होंगे। जिस देश में अशांति व गृह युद्ध की स्थितियाँ होती हैं वो देश अपने यहाँ की विद्रोही जनता पर अपनी और पकड़ मजबूत करने हेतु वृहद मात्रा में हथियार खरीदते हैं ताकि हिंसात्मक दमन से स्थितियों पर काबू पाया जा सके।
- बड़े-बड़े देश अपनी विचारधारा व अपने हेजमोनिक प्रभाव को प्रसारित करने हेतु भी विभिन्न वैश्विक क्षेत्रों या देशों में दखलंदाजी देते हैं, जैसे-शीत युद्ध के दौरान अमेरिका पूँजीवाद का प्रणेता बना था तो वहीं सोवियत संघ समाजवाद का।

प्रभाव

- बड़ी-बड़ी शक्तियों के इस प्रकार की दखलंदाजी से संबंधित क्षेत्र व देश में अशांति और भी बढ़ती है।
- आज विस्थापन व शरणार्थी समस्या, विश्व समुदाय के समक्ष एक गंभीर चुनौती के रूप में उभरी है।
- वृहद संख्या में लोगों के मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। प्रतिदिन हजारों लोग अकारण अपनी सशस्त्र संघर्ष में जान गँवाते हैं।
- आतंकवाद को और बल मिलता है, क्योंकि अशांत क्षेत्र आतंकवाद के लिए एक उर्वर भूमि तैयार करते हैं।

आगे की राह

- जब तक विश्व का ढाँचा (world structure) ऐसा होगा कि कुछ देश बहुत अमीर व शक्तिसम्पन्न और कुछ देश बहुत गरीब व शक्तिहीन होंगे तो अमीर व पावरफुल देश, गरीब देशों पर अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करंगे ताकि वहाँ के संसाधनों को अपने हित में उपयोग किया जा सके।
- इसलिए विश्व के ढाँचा को बदलने की आवश्यकता है। यह न्यायोचित (Equitable) होना चाहिए अर्थात् समृद्धि व शक्ति कुछ ही देशों में इकट्ठी नहीं होनी चाहिए बल्कि इनका वितरण न्यायसंगत हो।
- भारत का मानना है कि हर देश को अपनी आंतरिक समस्या का हल खुद निकालना चाहिए। कोई भी बड़ी शक्ति को वहाँ की जनता पर अपनी विचारधारा नहीं थोपनी चाहिए।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं और मंच-उनकी संरचना, अधिदेश।

प्र. वर्तमान में विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में अशांति, गृह युद्ध व सशस्त्र संघर्ष की स्थितियाँ व्याप्त हैं। इन स्थितियों के लिए बड़ी वैश्विक शक्तियाँ (यथा-अमेरिका, रूस, चीन आदि) कहाँ तक जिम्मेदार हैं? समीक्षा कीजिए।

04 संसदीय समितियाँ : विधायिका के आवश्यक अवयव

चर्चा का कारण

- वर्तमान 17वीं लोकसभा में 17 विधेयकों को संसद की स्थायी समितियों के लिए भेजा गया है जबकि, 16 वीं लोकसभा (2014-19) में 25% विधेयकों को समितियों को संदर्भित किया गया था। गौरतलब है कि 14वीं लोकसभा एवं 15वीं लोकसभा में क्रमश: 60% और 71% विधेयक संसद की समितियों के पास भेजे गए थे। कृषि कानून को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच विपक्ष ने मांग की थी कि संबन्धित विधेयक को राज्य सभा की प्रवर समिति को भेजा जाये । ऐसे में इस लेख में संसद की स्थायी समितियों एवं उनके महत्व पर प्रकाश डाला गया है।

संसदीय समिति एवं उनकी भूमिका

- आधुनिक युग में संसद को न केवल विभिन्न और जटिल प्रकार का, बल्कि मात्रा में भी अत्यधिक कार्य करना पड़ता है। संसद के पास इस कार्य को निपटाने के लिए सीमित समय होता है। देखा जाये तो एक वर्ष में संसद 70 से 80 दिनों के लिए ही बैठक करती है। इसलिए संसद उन सभी विधायी तथा अन्य मामलों पर, जो उसके समक्ष आते हैं, गहराई के साथ विचार नहीं कर पाती। अत: संसद का बहुत सा काम सभा की समितियों द्वारा निपटाया जाता है, जिन्हें संसदीय समितियां कहते हैं।
- संसदीय समिति से तात्पर्य उस समिति से है, जो सभा द्वारा नियुक्त या निर्वाचित की जाती है अथवा अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्देशित की जाती है और अध्यक्ष के निदेशानुसार कार्य करती है तथा अपना प्रतिवेदन सभा को या अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है और समिति का सचिवालय लोक सभा सचिवालय द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।
- अपनी प्रकृति के अनुसार संसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं: स्थायी समितियां और तदर्थ समितियां। स्थायी समितियां स्थासयी एवं नियमित समितियां हैं जिनका गठन समय-समय पर संसद के अधिनियम के उपबंधों अथवा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के अनुसरण में किया जाता है। इन समितियों का कार्य अनवरत प्रकृति का होता है।
- वित्तीय समितियां, विभागों से संबद्ध स्थायी समितियां (Departmentally Related Standing Committees) तथा कुछ अन्य, समितियां स्थायी समितियों की श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। तदर्थ समितियां किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए नियुक्त की जाती हैं और जब वे अपना काम समाप्त कर लेती हैं तथा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुमत कर देती हैं, तब उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। प्रमुख तदर्थ समितियां विधेयकों संबंधी प्रवर तथा संयुक्त समितियां हैं। रेल अभिसमय समिति, संसद भवन परिसर में खाद्य प्रबंधन संबंधी संयुक्त समिति इत्यादि भी तदर्थ समितियों की श्रेणी में आती हैं।

संरचना एवं महत्त्व

- वैसे तो संसद के दोनों सदनों के अपने दायरे में कई समितियाँ आती हैं लेकिन विभाग संबंधी 24 स्थायी समितियों की अलग अहमियत है। इनके दायरे में भारत सरकार के सभी विभाग और मंत्रालय आते हैं। विभागों से संबंधित स्थायी समितियाँ दो दर्जन हैं।
- विभागीय आधारित 24 तरह की स्थायी समितियां होती हैं जिसमें 21 लोकसभा और 10 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। हर समिति में सदस्यों की संख्या अलग-अलग होती है. इसके अलावा अन्य तरह की स्थायी समिति भी होती हैं। प्रवर समिति और संयुक्त समिति के रूप में तदर्थ समिति दो प्रकार की होती हैं, इन दोनों ही समितियों का कार्य सदन में पेश बिल (विधेयकों) पर विचार करना होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि सदन की ओर से इन दोनों समितियों के पास सभी विधेयकों पर विचार के लिए भेजा ही जाए।
- प्रवर समिति भेजे गए बिल के सभी मामलों पर गंभीरता से विचार करती है। विचार के बाद समिति किसी भी मामले पर अपने सुझाव दे सकती है। यह समिति बिल से संबंधित संगठनों, विशेषज्ञों और अन्य लोगों से उनकी राय ले सकती है। बिल पर गहन विचार-विमर्श के बाद प्रवर समिति अपने संशोधनों और सुझावों के साथ सदन को रिपोर्ट सौंपती है। अगर समिति का कोई सदस्य संबंधित बिल पर असहमत होता है तो उसकी असहमति भी रिपोर्ट के साथ भेजी जा सकती है।

समिति एक विधेयक की जांच कब करती है?

- वैसे तो नियम यही है कि लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा ही विधेयक समितियों को भेजा जाए, लेकिन सामान्यत: इसे संबंधित मंत्री की सिफारिश पर ही भेजा जाता है। पिछले साल इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में एक प्रस्ताव पारित कर पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को एक संयुक्त समिति के पास भेजने की सिफारिश की थी। यदि मंत्री इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं देता है, तो यह सदन के पीठासीन अधिकारी पर निर्भर करता है कि वह विधेयक को विभागीय रूप से संबंधित स्थायी समिति को भेज सकता है या नहीं।
- ऐसे मौके कई बार आए हैं जब लोकसभा में पारित हो जाने के बाद भी राज्यसभा ने प्रवर समिति गठित की है ताकि संबंधित विधेयकों की बारीकी से जाँच की जा सके। आम तौर पर विभागीय स्थायी समितियों (DRSCs) की बैठकों में विधेयकों की समीक्षा करते समय अनेक विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाता है। यह विशेषज्ञों, हितधारकों और नागरिकों से टिप्पणियों और सुझावों को आमंत्रित करता है। सरकार भी अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए समिति के सामने आती है। आमतौर पर, संसदीय समितियों को तीन महीने में अपनी रिपोर्ट देनी होती है, लेकिन कभी-कभी इसमें अधिक समय लग सकता है। समिति की रिपोर्ट एक अनुशंसात्मक प्रकृति की है। सरकार अपनी सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। कई बार सरकार समितियों द्वारा दिये गए सुझावों को शामिल करती है।

विभागीय समितियों की सीमाएं

- स्थायी समितियों के पास अनुसंधान के लिए कोई विशेष सहायता उपलब्ध नहीं है, साथ ही इनके पास शोधकर्ताओं के रूप में पूरी तरह से समर्पित स्टाफ नहीं होता।
- समिति के कार्यसंचालन में पारदर्शिता से जुड़ा मुद्दा भी अहम है। सभी समितियों की बैठकें बंद दरवाजों में होती है, उनकी केवल अंतिम रिपोर्ट ही प्रकाशित होती है, जिसमें संक्षेप में कार्यवृत्त दिये जाते हैं।
- कई बार देखा गया है कि सार्वजनिक महत्व के मामलों में विभागों से संबद्ध स्थायी समितियां उपेक्षा का शिकार हुई हैं। पिछले वर्ष संसद के सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य जैसे अनुच्छेद 370 जो जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति को निरस्त करते हैं और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करते हैं, किसी भी सदन की समिति द्वारा सुझाए या संसाधित नहीं किये गए थे।
- समितियों के कामकाज पर कई बार बैठकों में सांसदों की उपस्थिति कम होती है। इसके अलावा सांसदों को समितियों में नामित करते समय अधिकांश राजनीतिक दलों द्वारा मानदंडों का पालन नहीं किया जाता।
- जानकारों का मानना है कि कृषि उपज से संबंधित तीन विधेयकों और तीन श्रम विधेयकों को सदनों की चुनिंदा समितियों द्वारा जांच करानी चाहिए था, किन्तु सरकार द्वारा बहुमत का उपयोग कर इस विधेयक पारित किया गया।

आगे की राह

- भारत की आजादी के बाद कई ऐसे बुद्धिजीवी व्यक्ति थे जो प्रतिनिधित्व, और जवाबदेही के आधार पर भारत के लिए संसदीय लोकतंत्र की उपयुक्तता का बलपूर्वक बचाव किया। प्रौद्योगिकी में विघटनकारी परिवर्तन और व्यापार, वाणिज्य और अर्थव्यवस्था के विस्तार में नई नीतिगत चुनौतियां उभरी हैं, जिन्हें कानूनी और संस्थागत संरचनाओं के माध्यम से निरंतर सुधार की आवश्यकता है। डिजिटल समाज को संचालित करने के लिए जिन कानूनों और विनियमों की आवश्यकता होती है, उन्हें अत्यधिक विशिष्ट ज्ञान और राजनीतिक कौशल के बिना नहीं बनाया जा सकता है। संसद सदस्यों के पास बहुत बड़ी संख्या हो सकती है, लेकिन उन्हें ऐसी स्थितियों से निपटने में विशेषज्ञों की सहायता की आवश्यकता होगी। यह समितियों के माध्यम से हो सकता है कि इस तरह की विशेषज्ञता कानून बनाने में तैयार की जाये।
- इसके अलावा संसद की सभी समितियों की प्रमुख रिपोर्टों एवं सुझावों पर संसद में विशेष रूप से उन मामलों पर चर्चा की जानी चाहिये जहाँ संबन्धित समिति और सरकार के बीच असहमति है।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- संसद और राज्य विधायिका- संरचना, कार्य, कार्य संचालन, शक्तियां एवं विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले मुद्दे।

प्र. क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि लोक सभा और राज्य सभा के संचालन प्रक्रिया एवं नियमों में संशोधन करने की आवश्यकता है ताकि सभी प्रमुख विधेयकों को संसद की समितियों को संदर्भित किया जाए ? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें।

05 भारतीय रेलवे में भिक्षावृत्ति को वैधानिक करने का प्रस्ताव

चर्चा का कारण

- भारतीय रेलवे स्टेशन पर या ट्रेन में अब भीख मांगना (भिक्षावृत्ति) और धूम्रपान करना अपराध की श्रेणी से बाहर करने पर विचार हो रहा है।

परिचय

- भारतीय रेल के स्टेशन पर या ट्रेन में अब भीख मांगना और धूम्रपान करना अपराध नहीं रह जाएगा। अब तक ट्रेन में या रेल स्टेशन पर भीख मांगने या धूम्रपान के लिए जेल और जुर्माने का प्रावधान था। अब इसकी जगह सरकार कड़ी पेनल्टी लगाने पर विचार कर रही है।
- रेलवे बोर्ड इस संबंध में एक प्रस्ताव बना कर उसे कैबिनेट से पास कराने की प्रक्रिया में है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है जिससे इस तरह के कृत्य को अपराध की श्रेणी से हटाया जा सके।
- भारतीय रेलवे ने इस तरह का प्रस्ताव कैबिनेट सचिवालय के उस निर्देश के बाद बनाया है, जिसमें उन नियम-कानूनों को निरस्त करने को कहा है, जिसमें छोटी-मोटी गलती के लिए भी जेल भेज दिया जाता है।
- कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ने कुछ दिन पहले ही एक प्रस्ताव भेजा था जिसमें कई अपराध को डिक्रिमिनलाइज किए जाने के लिए कहा गया था। वास्तव में इस तरह की कवायद कई मंत्रालय और विभागों के सुझाव के बाद की जा रही है, इसमें कहा गया है कि गिरफ्तारी की जगह कड़ी पेनाल्टी लगाने जैसे प्रावधान किए जाने चाहिए। रेलवे इस सूची में कई और गलतियां जोड़ सकता है जिसके लिए तुरंत जुर्माना लेकर उल्लंघन करने वाले को छोड़ दिया जाए।

रेलवे अधिनियम, 1989

- रेलवे अधिनियम, 1989 की 'धारा-144' के मुताबिक, यदि कोई व्यक्ति भारतीय रेलवे के किसी परिसर या रेलगाड़ी में भीख मांगता पकड़ा जाता है अर्थात भिक्षावृत्ति से संबन्धित गतिविधियों में संलग्न पाया जाता है तो उस पर 1,000 रुपए तक का जुर्माना या एक वर्ष तक की जेल या फिर दोनों ही हो सकते हैं।
- इसी अधिनियम की धारा-167 में यह प्रावधान है कि रेलगाड़ी/रेलवे प्लेटफॉर्म/अन्य रेलवे परिसर में धूम्रपान करने पर जेल की सजा हो सकती है।

भिक्षावृत्ति से संबन्धित वर्तमान परिदृश्य

- सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के आँकड़ों के अनुसार भारत में वर्तमान में 14 साल तक की उम्र के लगभग 4 लाख बच्चे भिक्षावृत्ति के धंधे में लगे हैं और खानाबदोश जिंदगी जी रहे हैं। यह एक ऐसा धंधा बन गया है जिसमें काम करने के घंटे, मुनाफा-घाटा, दलाल और मैनेजर आदि सबकी एक श्रेणी बन चुकी है। अर्थात् यह कार्य एक संगठित अपराध में तब्दील हो चुका है।
- 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार, देश में कुल 3.72 लाख भिखारी हैं, इनमें से लगभग 79 हजार यानी 21 फीसदी साक्षर हैं। हाईस्कूल या उससे अधिक पढ़े लिखे भिखारियों की संख्या भी कम नहीं है। इनमें से करीब 3000 ऐसे हैं जिनके पास कोई न कोई टेक्निकल या प्रोफेशनल कोर्स का डिप्लोमा है। इसके अलावा, शहरी इलाकों में भीख माँगने वालों की संख्या एक लाख पैंतीस हजार है जबकि ग्रामीण इलाकों में यह संख्या दो लाख पैंतीस हजार है।
- एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली में सालाना लगभग 215 करोड़ रुपये का भिक्षावृत्ति का कारोबार है। यहाँ सवा लाख के करीब भिखारी हैं, जो विभिन्न संगठित आपराधिक गिरोहों के तहत कार्यरत हैं।
- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के अनुसार, देश में हर साल हजारों बच्चों का भिक्षावृत्ति हेतु अपहरण कर लिया जाता है, इसके बाद उनके अंगों को विभिन्न तरीके से क्षतिग्रस्त करके जबरन भीख मँगवाई जाती है।
- अतः उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि दिल्ली, मुम्बई व कोलकाता जैसे मेट्रो सिटी में ही भिक्षावृत्ति की समस्या घर किये हुए नहीं है, बल्कि इसने कमोबेश रूप से पूरे देश में पैर पसारे हैं।

देश में भिक्षावृत्ति से संबन्धित कानून

- देश में भिक्षावृत्ति की रोकथाम और नियंत्रण से संबन्धित कोई केन्द्रीय स्तर का कानून नहीं है। हालाँकि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में इससे संबन्धित प्रावधान किया गया है।
- अगर कोई व्यक्ति किसी अवयस्क (नाबालिग) व्यक्ति का अपहरण (किडनैपिंग) करके भीख मंगवाता है या विकलांग करके भीख मंगवाता है तो वह व्यक्ति आईपीसी की 'धारा 363-क' के अंतर्गत दोषी होगा। इस धारा के अपराध किसी भी प्रकार से समझौता योग्य नहीं हैं। यह अपराध संज्ञेय एवं अजमानतीय अपराध होते हैं। किसी भी नाबालिग बच्चों से भीख मंगवाने पर 10 वर्ष का कारावास ओर जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है।
- किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 में भी भिक्षावृत्ति की रोकथाम और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इस अधिनियम की

धारा 24 (1) में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति किशोर या बच्चे को भीख मांगने के लिये नियुक्त करता है या उसका उपयोग करता है या किसी किशोर द्वारा भीख मांगने का कारण बनता है, उसके लिये तीन वर्ष तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकता है।

- 1947 के बाद बम्बई प्रांत ने भिक्षावृत्ति निरोधक कानून,1959 बनाया जिसे कई राज्यों(लगभग 22 राज्यों) अपने यहाँ यथोचित संशोधित करके लागू किया। इस कानून को बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट, 1959 भी कहा जाता है। इसमें भी भिक्षावृत्ति की रोकथाम और नियंत्रण से संबन्धित प्रावधान हैं।
- गौरतलब है कि एक समय देश की आर्थिक राजधानी मुम्बई में उत्तर प्रदेश व बिहार जैसे अति पिछड़े राज्यों से बच्चे, महिलाओं आदि को लाकर जबरन इस भिक्षावृत्ति के गोरखधंधे में ढकेल दिया जाता था, इसलिए 1959 में 'भिक्षावृत्ति निरोधक कानून' बम्बई प्रांत लाया, जिसे धीरे-धीरे अन्य राज्यों ने स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार संशोधित करके अपनाया।

भिक्षावृत्ति से सम्बंधित दिल्ली हाईकोर्ट का निर्णय

- सन् 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट ने 'भिक्षावृत्ति निरोधक कानून', को खारिज करते हुए कहा कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समता) एवं अनुच्छेद 21 (प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण) के विरुद्ध है। केंद्र सरकार ने भी समर्थन में कहा कि भिक्षावृत्ति अगर गरीबी के कारण की जा रही है तो इसे अपराध नहीं माना जाना चाहिए।
- कोर्ट का यह निर्णय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भिक्षुकों के मौलिक व मानवीय अधिकारों की रक्षा हेतु दायर दो याचिकाओं (हर्ष मंदेर बनाम भारत संघ और कार्निका शाहनी बनाम भारत संघ) पर आया था।

भिक्षावृत्ति के कारण

समाज में भिक्षावृत्ति के पनपने के निम्न कारण हैं-

1. संसाधनों का असमान वितरण।
2. गरीबी व बेरोजगारी का उच्चतम स्तर पर होना।
3. लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं (रोटी, कपड़ा व मकान) का पूरा नहीं हो पाना।
4. गंभीर स्वास्थ्य समस्या व अपंगता।
5. कुछ आपराधिक संगठनों द्वारा जबरदस्ती भिक्षावृत्ति करवाना। इसमें बाल भिक्षावृत्ति सबसे प्रमुख है।
6. प्रोफेसर अमर्त्य सेन के अनुसार लोगों में "क्षमताओं का अभाव" ही भिक्षावृत्ति व गरीबी का मुख्य कारण है।
7. वर्ल्ड बैंक के अर्थशास्त्री गौरव दत्त के अनुसार आर्थिक उदारीकरण के साथ भारत में 'ग्रामीण औद्योगिकीकरण' पर ध्यान नहीं दिया गया, जिससे गरीबी ने धीरे-धीरे गम्भीर रूप धारण कर लिया।
8. आर्थिक उदारीकरण के लागू होने के बाद विदेशी, निजी व सरकारी निवेश भारी मात्रा में आया जिससे पूँजी की उपलब्ध मात्रा में बढ़ोतरी हुयी। इसके कारण उत्पादन प्रक्रिया में श्रम के स्थान पर पूँजी के प्रतिस्थापन को अधिक बढ़ावा मिला। अतः अकुशल श्रमिक धीरे-धीरे बेरोजगार होने लगे और गरीबी के जाल में फँसते चले गए। बाद में गरीबी के इसी स्तर ने भिक्षावृत्ति का रूप धारण कर लिया।
9. भारत में भिक्षावृत्ति या गरीबी के कुछ ऐतिहासिक कारण भी हैं। औपनिवेशीकरण के दौरान अंग्रेजों ने भारत को इस कदर लूटा कि 'सोने की चिड़िया' कहलाने वाला देश 'अकाल और भुखमरी' का पर्याय बन गया।
10. इस सामाजिक कुरीति के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण अशिक्षा भी है। एक तरफ जहाँ सरकार सर्वशिक्षा अभियान के तहत सभी को शिक्षित करना चाहती है, तो महँगी होती शिक्षा से गरीब तबका कोसों दूर होता जा रहा है।

क्या भिक्षावृत्ति पर रोक होनी चाहिए?

- सरकार भिक्षावृत्ति या गरीबी का अपराधीकरण नहीं कर सकती है। यदि लोगों के पास दो वक्त की रोटी नहीं है, सिर ढकने के लिए छत नहीं है और जीवन-यापन हेतु रोजगार नहीं है तो इसमें राज्य का शासन असफल है। अर्थात गरीबी या भिक्षावृत्ति, वह सामाजिक और आर्थिक स्थिति होती है, जिसमें सम्बन्धित व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता है।
- अतः सरकार को लोगों की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के साथ-साथ उन सार्वजनिक सेवाओं (स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास आदि) पर खर्च करके उनकी 'क्षमताओं का विकास' करना होगा। इसके अलावा उन आपराधिक तत्वों पर कड़ी कार्यवाई करनी होगी, जो लोगों को भिक्षावृत्ति के लिए मजबूर करते हैं।

'भिक्षावृत्ति निरोधक कानून' का विश्लेषण

- यह एक्ट कमोबेश पूरे देश में पिछले लगभग 60 वर्षों से चला आ रहा है, किंतु इस कानून ने भिक्षावृत्ति को रोकने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त नहीं की है। इस कानून को लाने के पीछे सरकार की मंशा थी कि भिक्षावृत्ति को व्यवस्थित धंधे में न तब्दील होने दिया जाय, किंतु भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता, धार्मिक, सामाजिक-सांस्कृतिक व आर्थिक आदि कारकों ने मिलजुलकर इस समस्या को बेहद गम्भीर बना दिया।
- इस कानून में प्रावधान है कि सार्वजनिक स्थानों पर कला प्रदर्शन कर, भविष्य बताकर, गा-बजाकर, बिना एक्टिंग व बोले अप्रत्यक्ष रूप से भीख माँगने वालों को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी और उन्हें 10 वर्ष तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा भिखारी की तरह पोशाक पहनकर अपने को भिखारी की तरह प्रस्तुत करने को भी भिक्षावृत्ति कानून के तहत अपराध माना जायेगा।
- अतः उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि 'भिक्षावृत्ति निरोधक कानून' में भीख माँगने की परिभाषा बहुत ही अस्पष्ट व भ्रामक है जिसके आधार पर पुलिस फुटपाथ पर रहने वाले गरीबों को विभिन्न तरीके से परेशान करती थी।
- यह कानून ज्यादा सक्रिय अवस्था में नहीं रहता था किंतु जरूरत के मुताबिक समय-समय पर सरकार इसका उपयोग करती थी। यथा-2010 में कॉमनवेल्थ खेलों के आयोजन से पूर्व सरकार ने भिखारियों को विभिन्न तरीके से परेशान किया। उन्हें दिल्ली से बाहर जाने पर मजबूर किया और जो नहीं गये उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि यदि विदेशी लोगों के सामने ये भिखारी आते तो भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल हो सकती थी।

भिक्षावृत्ति को रोकने हेतु प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सरकारी प्रयास

1. बाल कल्याण ब्यूरोः यह ब्यूरो राष्ट्रीय बाल नीति, किशोर न्याय अधिनियम तथा समेकित बाल संरक्षण स्कीम, चाइल्ड हैल्पलाइन जैसे कार्यक्रमों से सम्बन्धित है। निराश्रित बच्चों हेतु समेकित कार्यक्रम, देश के भीतर दत्तक

ग्रहण को बढ़ावा देने के लिए शिशुगृहों को सहायता स्कीम तथा किशोर न्याय कार्यक्रम नामक तीन पूर्ववर्ती स्कीमों का वर्ष 2009-10 से 'समेकित बाल संरक्षण स्कीम' में विलय किया गया।

2. 'किशोर न्याय कानून (संशोधित), 2015' में बाल भिक्षावृत्ति के खिलाफ सख्त प्रावधान किए गए हैं। इस कानून की धारा 76 के तहत बाल भिक्षावृत्ति के लिए दोषी पाए गए व्यक्ति को पाँच साल की कैद और एक लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। आयोग के अनुसार बाल भिक्षावृत्ति एक राष्ट्रीय समस्या है, लेकिन शहरों में इसे पेशेवर ढंग से अंजाम दिया जा रहा है। अतः आयोग चिल्ड्रेन हेल्पलाइन, गैर सरकारी संगठनों और प्रशासन के साथ मिलकर बाल भिक्षावृत्ति पर अंकुश लगाने का प्रयास कर रहा है। इस मुहिम के तहत न सिर्फ बच्चों को भिक्षावृत्ति के दलदल से निकाला जाएगा, बल्कि उनके पुनर्वास की भी योजना है।
3. संविधान की किसी भी सूची में भिखारी या भीख शब्द का उल्लेख नहीं है। हालांकि संविधान की सांतवीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि-9 के अनुसार निःशक्त और रोजगार नहीं कर पाने वाले व्यक्तियों को राहत पहुँचाना राज्य का अधिकार क्षेत्र में आता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्तमान में 20 राज्यों और दो संघशासित प्रदेशों ने अपना भिक्षावृत्ति विरोधी कानून लागू किया है या अन्य राज्यों में लागू कानून को अपनाया है। कई राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा भिक्षावृत्ति से संबंधित कानून को लागू किया गया है। हालांकि राज्यों में इस कानून के प्रावधान अलग-अलग हैं और भिखारियों के पुनर्वास के लिए उपायों सहित इन्हें लागू करने की स्थिति एक समान नहीं है। निराश्रित की सुरक्षा, देखभाल और पुनर्वास के लिए एक ड्राफ्ट योजना पर विचार किया जा रहा है।
4. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत गरीबों को 2 रुपए प्रति किलो गेहूँ, 3 रुपए प्रति किलो चावल और 1 रुपए प्रति किलो मोटा अनाज मिल रहा है। इस अधिनियम से लगभग देश की 82 करोड़ जनसंख्या लाभान्वित हो रही है।

भिक्षावृत्ति रोकने के अन्य उपाय

1. सभी के लिए समान अवसर।
2. वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना।
3. अप्रत्यक्ष करों पर निर्भरता कम करना और प्रत्यक्ष करों पर निर्भरता बढ़ाना।
4. ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना का विकास।
5. पिछड़े प्रदेशों में निवेश को प्रोत्साहन।
6. गैर कृषि गतिविधियों का विकास।
7. लोगों में कुशलताओं का विकास करने पर ध्यान देना।
8. गरीबी निवारण की व्यापक रणनीति को लागू करना।
9. सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े समूहों के विकास पर ध्यान देना।
10. 'लिंग संतुलन' से जुड़ी हुई नीतियों को लागू करना।
11. भारत में विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग), निर्माण (कंस्ट्रक्शन) एवं श्रम गहन सेवाओं की आर्थिक गतिविधियों पर सरकार को अधिक जोर देना होगा।
12. लोगों को व्यावसायिक शिक्षा व प्रशिक्षण देना होगा तथा व्यवसाय करने के वातावरण को भी आसान बनाना होगा ताकि लोगों को अधिक से अधिक रोजगार प्राप्त हो सके।
13. सामुदायिक, निजी व सामाजिक क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाकर मूलभूत सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाना होगा।
14. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, चमड़ा उद्योग, वस्त्र उद्योग व अन्य अनौपचारिक क्षेत्रक सर्वाधिक रोजगार प्रदाता हैं। अतः भारत जैसे जनसंख्या बाहुल्य विकासशील देशों को इन क्षेत्र के उद्योगों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
15. कृषि उत्पादकता को बढ़ाना होगा। इसके लिए कृषि क्षेत्र से जुड़े अवसंरचना (यथा- सिंचाई सुविधाएँ आदि) का विकास, न्यूनतम समर्थन मूल्य का विवेकीकरण, भूमि सुधारों आदि को प्रभावी किया जाना चाहिए।
16. शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे सामाजिक खर्च बढ़ाकर लोगों की क्षमताओं का विकास करना होगा।
17. सरकार को अधिक रोजगार प्रदान करने वाले क्षेत्रों की पहचान करके उनके लिए 'क्षेत्र विशेष नीतियों' को लागू करना होगा।
18. जो लोग विकास की सामान्य प्रक्रिया से नहीं जुड़ पाते हैं, उनके लिए लक्ष्योन्मुखी आय और रोजगार प्रदान करने वाली योजनाओं को लागू किया जा सकता है।
19. भारत में श्रम कानूनों में जरूरी बदलाव करना ताकि उत्पादन की प्रक्रिया में 'श्रम के अवशोषण (absorption)' को बढ़ावा मिले, न कि उसके बहिष्करण को।

निष्कर्ष

- केवल लोगों की आय बढ़ाने से यह जरूरी नहीं कि उनकी गरीबी या भीख माँगने की प्रवृत्ति दूर हो जाये। आय बढ़ने के साथ-साथ लोगों की क्षमताओं का विकास भी होना चाहिए। आय का क्षमताओं में परिवर्तन स्वतः नहीं होता है। यह कई शर्तों और बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि सम्बन्धित व्यक्ति विवेकशील है, समाज प्रगतिशील है, प्राकृतिक परिस्थितियाँ अनुकूल हैं, आदि।
- सरकार को देशव्यापी स्तर पर भिखारियों की जनगणना करके, उनको एक बायोमेट्रिक पहचान से संलग्नित करना होगा। इसके बाद उनकी क्षमताओं के मुताबिक कौशल विकास करके निजी या सरकारी संस्थानों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना चाहिए।

सामान्य अध्ययन पेपर-3

Topic:

- बुनियादी ढांचाः ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि।

प्र. इस कथन का विश्लेषण कीजिए कि 'क्षमताओं का अभाव' ही भिक्षावृत्ति व गरीबी को जन्म देता है। इस संदर्भ में भारत के नीति निर्माताओं के लिए कौन से नीतिगत संदेश भेजे जा सकते हैं?

06 राष्ट्रीय वन नीति : नवीनीकरण की आवश्यकता

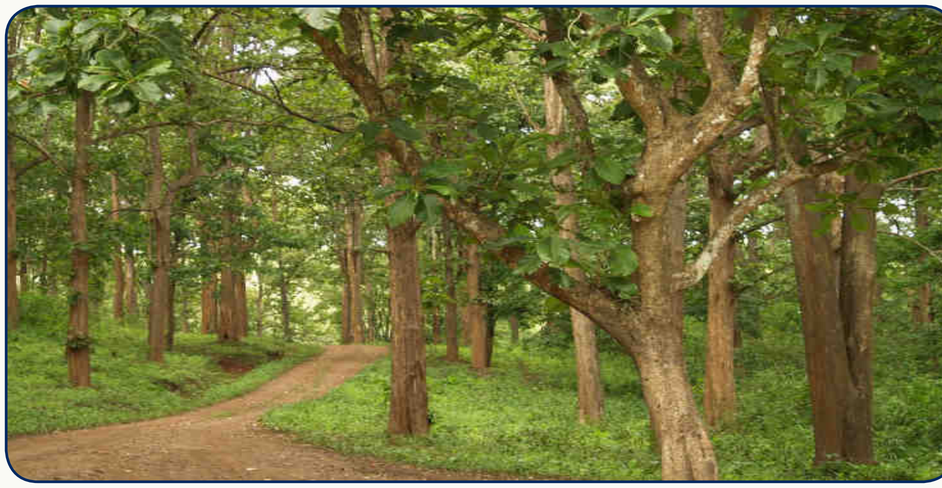

चर्चा का कारण

- वर्तमान में राष्ट्रीय वन नीति, 1988 (National Forest Policy, 1988) इस वजह से चर्चा में है क्योंकि हाल ही में वन महानिदेशक ने इस नीति में संशोधन की सिफारिश की है।
- वन महानिदेशक की सिफारिशों का आधार वर्ष 2016 में प्रकाशित 'नेचुरल रिसोर्स फोरम' का एक शोध पत्र है।

'नेचुरल रिसोर्स फोरम' का शोध पत्र एवं उसके निष्कर्ष

- नेचुरल रिसोर्स फोरम , संयुक्त राष्ट्र सतत विकास जर्नल (United Nations Sustainable Development Journal) है जो सतत वन प्रबंधन की नीति का समर्थन करता है।
- 'नेचुरल रिसोर्स फोरम' के शोध पत्र के अनुसार भारत में लकड़ी के बढ़ते स्टॉक, खपत एवं उत्पादन से संबंधित विश्वसनीय आँकड़ों की कमी है जो भारतीय बाजार में लकड़ी की आपूर्ति एवं मांग के अनुमानों को बाधित करता है। इसके अतिरिक्त, इससे वन प्रबंधन भी प्रभावित होता है।
- शोध पत्र के मुताबिक भारत में लकड़ी के उत्पादन में वृद्धि से कार्बन अधिग्रहण को भी समर्थन मिलेगा तथा इससे जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों को कम करने में भी मदद मिलेगी।
- इसके अतिरिक्त , वनों से बाहर के पेड़ों (Trees Outside Forest-TOFs) की उत्पादकता बढ़ाने से इमारती लकड़ी का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है जिससे भारत की कृषि आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त किया जा सकता है।
- वर्ष 1988 के बाद से भारत की आबादी काफी बढ़ गयी है और नब्बे के दशक में लागू किए गए आर्थिक सुधारों की वजह से यहाँ प्रति व्यक्ति आय में भी बढ़ोत्तरी हुए है। जिसके कारण लकड़ी एवं इससे संबन्धित उत्पादों की घरेलू मांग में पिछले कुछ वर्षों में जोरदार उछाल आया है। इसलिए लकड़ी एवं इससे संबन्धित उत्पादों की भारत की आयात पर अत्यधिक निर्भरता व्यवहारिक नहीं है क्योंकि वातमान में अधिकतर देश संरक्षण-आधारित दृष्टिकोण का अनुसरण कर रहे हैं।

'नेचुरल रिसोर्स फोरम' के शोध पत्र में दिये गए सुझाव

- 'नेचुरल रिसोर्स फोरम' के शोध पत्र में कहा गया है कि गोडावर्मन वाद, 1996 (Godavarman Case, 1996) में सर्वोच्च न्यायालय ने वन क्षेत्रें में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी थी, जिससे लकड़ी के घरेलू उत्पादन मे कमी आई है, इसे बढ़ाने के विकल्प को तलाशने की आवश्यकता है।
- वनों से बाहर के पेड़ों के लिए एक संतुलित राष्ट्रव्यापी नीति विकसित की जानी चाहिए।
- इन सिफारिशों का मुख्य आधार वन क्षेत्र की उतपादकता को बढ़ाने के लिए संशोधन की आवश्यकता बताई गई है।
- 'नेचुरल रिसोर्स' के शोध पत्र में कहा गया है कि वनों के बाहर के पेड़ों से लकड़ी प्राप्त करने के लिए पेड़ों को सरकारी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर उगाया जाना चाहिए और उसका दोहन किया जाना चाहिए; अर्थात उत्पादन वानिकी द्वारा रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया और वनों से बाहर के पेड़ों (Trees Outside Forest - TOFs) में उत्पादकता बढ़ाने के सतत प्रयास करने की आवश्यकता है। गौरतलब है कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया का तात्पर्य उस क्षेत्र से है जिसमें आरक्षित वन, संरक्षित वन क्षेत्र आदि का विस्तार है। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया से संबन्धित प्रावधान भारतीय वन अधिनियम, 1927 में वर्णित किए गए हैं।
- राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के विविध प्रावधानों एवं न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के चलते भारतीय बाजार में घरेलू लकड़ी के उत्पादन में गिरावट आई है और आयात कई गुना बढ़ गया है। इसलिये भारत को लकड़ी व्यापार से संबन्धित निर्यात-आयात नीति की समीक्षा करने की आवश्यकता है।
- शोध पत्र में राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में संशोधन के लिए जोर दिया गया है ताकि यह नीति वर्तमान की परिस्थितियों के अनुकूल हो। भारत को अपनी राष्ट्रीय वन नीति में संरक्षण नीतियों द्वारा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने पर तथा संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन के माध्यम से जैव विविधता में सुधार पर ध्यान देना चाहिये। इसके अतिरिक्त , भारत को बंजर भूमि के उत्थान को लक्षित किया जाना चाहिये।

भारत में राष्ट्रीय वन नीति की पृष्ठभूमि

- वर्ष 1894 में देश की पहली राष्ट्रीय वन नीति घोषित की गई जो ब्रिटिश नियंत्रण को जंगली क्षेत्र में मजबूत करती थी।
- स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति वर्ष 1952 में अपनाई गई। इस नीति में वनों के संरक्षण तथा उसके बेहतर उपयोग की बात की गई तथा राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुसार 1894 की नीति में परिवर्तन किया गया।
- सरकार की इस वन नीति के कारण ही 1952 से वर्ष 1981 के बीच कृषि फसलों के अंतर्गत क्षेत्र 1187.5 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 1429.4 लाख हेक्टेयर हो गया, ऐसा ग्रामीण क्षेत्रों की वनाच्छादित भूमि को वृक्षहीन करके किया गया।
- इस नीति के प्रावधान वन क्षेत्र में कमी को रोकने में बहुत सफल नहीं हो पा रहे थे तो साथ ही इस समय तक भारत की आवश्यकता, जनसंख्या, नगरीकरण, औद्योगीकरण आदि का स्तर भी परिवर्तित हो चुका था।

- 1952 की नीति को भारत सरकार द्वारा संकल्प संख्या 3-1-1986 FP दिनांक 7 दिसंबर, 1988 के अनुसार संशोधित किया गया।
- वर्ष 1988 में नई राष्ट्रीय वन नीति को लागू किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य वनों के विनाश रोकना तथा वनों की सुरक्षा एवं संरक्षण को बढ़ावा देना है।

राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के प्रमुख प्रावधान

- देश के 33 प्रतिशत भाग को वनाच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है।
- वनों को उनकी वनस्पतियों व जीव जंतुओं सहित राष्ट्रीय धरोहर के रूप में संरक्षित किया जायेगा।
- व्यापक पैमाने पर वनारोपण अभियान चलाये जायें तथा सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जायेगा।
- बाढ़ सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं की रोकथाम तथा मृदा अपरदन व मरुस्थलीकरण को नियंत्रित किया जाये।
- राष्ट्रीय आवश्यकताएं पूरा करने के लिए वनों की उत्पादकता बढ़ाना। 6. वन उपज के कुशल उपयोग और लकड़ी के इष्टतम उपयोग को प्रोत्साहित करना।
- रोजगार के अवसर पैदा करना और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना।
- राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों एवं तटीय इलाकों में रेत के टीलों के विस्तार की जांच करना एवं रोकना।

राष्ट्रीय वन नीति, 1988 की आलोचना

- विशेषज्ञ राष्ट्रीय वन नीति, 1988 की आलोचना करते हैं और इसमें जरूरी संशोधनों की सिफारिश करते हैं।
- इसमें समय के अनुसार सरकार ने संशोधन भी नहीं किए हैं; अतः यह 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाओं की प्रतिपूर्ति नहीं करती है।
- 1988 के बाद से जलवायु परिवर्तन में भारी बदलाव आयें हैं तथा भारत ने जलवायु परिवतन को कम करने हेतु कई प्रकार के कदम भी उठायेँ हैं, इन सब चुनौतियों व प्रयासों का राष्ट्रीय वन नीति, 1988 प्रतिनिधित्व नहीं करती है।
- भारत में इस समय राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत 'वन' की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। इसके अतिरिक्त , वन प्रबंधन हेतु यहाँ कोई स्पष्ट नीति भी नहीं है।

भारत में वन से संबन्धित वर्तमान स्थिति

- 30 दिसंबर, 2019 को केंद्र सरकार ने वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले दो सालों में देश के हरित क्षेत्र में 5188 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसमें वन क्षेत्र और वन क्षेत्र के इतर अन्य पेड़ों से कवर्ड ग्रीन एरिया भी शामिल हैं। हालांकि देश के उत्तर पूर्व इलाके के हरित क्षेत्र में कुछ कमी जरूर देखी गई।
- मौजूदा रिपोर्ट के मुताबिक देश का कुल वन और वृक्ष आवरण 80.73 मिलियन हेक्टेयर है। जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24. 56 फीसदी है। अगर केवल वनावरण की बात करें तो यह 712249 वर्ग किलोमीटर है जोकि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.67% है।
- साल 2017 के मुकाबले देश में इस बार वन और वृक्ष आवरण का कुल दायरा 5188 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। इसमें वन आच्छादित क्षेत्र का दायरा 3976 वर्ग किलोमीटर और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र का दायरा 1212 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। वन क्षेत्रों में यह बढ़ोतरी खुले और सामान्य रूप से घने और बेहद घने जंगलों में देखी गई है।

वनीकरण को बढ़ाने हेतु प्रयास

राष्ट्रीय प्रयास

- विकास की अंधी दौड़ में मानव समाज ने जिस तरह से वनों की अंधाधुंध कटाई की है उसे इसका खामियाजा भी भुगतना ही पड़ेगा। इस समस्या से निपटने और वनों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिहाज से सरकार ने कई योजनाएं और नीतियां लागू की हैं, जिनमें ग्रीन इंडिया मिशन, नेशनल ग्रीन हाईवे मिशन, राष्ट्रीय वन नीति 1988 और कैम्पा (CAMPA) जैसे कार्यक्रम शामिल हैं।
- इसके अलावा, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, एकीकृत जल संभरण प्रबंधन कार्यक्रम, राष्ट्रीय बांस मिशन और गांवों के स्तर पर ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जैसे प्रयास भी किए जा रहे हैं। साथ ही, वनों के संरक्षण के लिहाज से संसद द्वारा कई कानून मसलन वन संरक्षण कानून 1980 भी पारित किए गए हैं।
- भारत सरकार ने राष्ट्रीय वन नीति, 2018 का मसौदा भी जारी किया है। इस मसौदे का मुख्य जोर आदिवासियों एवं वन-आश्रित लोगों के हितों की सुरक्षा के साथ-साथ वनों का संरक्षण, सुरक्षा एवं प्रबंधन पर है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रयास

- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जंगलों के बेहतरी के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं जिनमें यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टिट्यूट के प्रयास, वन कार्यक्रम भागीदारी सुविधा और फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम जैसे कदम शुमार हैं।

आगे की राह

- सरकार को राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में यथोचित संसोधन करके नयी राष्ट्रीय वन नीति लानी चाहिए। हालांकि सरकार ने राष्ट्रीय वन नीति, 2018 का मसौदा जारी किया है, अतः इसमे प्रमुख सुझावों को शामिल करते हुए शीघ्र नीति का निर्माण कारण चाहिए।
- भारत में अपने लिए 33 फीसदी वन आच्छादन का लक्ष्य रखा है। इस लिहाज से मौजूदा आंकड़े बता रहे हैं कि हम अपने लक्ष्य से अभी भी काफी दूर हैं। जंगल न केवल हमारी भौतिक जरूरतों के लिहाज से बल्कि पारिस्थितिक और पर्यावरणीय नजरिए से भी काफी अहम होते हैं। ऐसे में, हमें हमारे वानिकी संसाधनों को बचाना होगा और साथ ही उन्हें बढ़ावा भी देना होगा। ताकि हम इंसानों का सतत विकास संभव हो सके।

सामान्य अध्ययन पेपर-3

Topic:

- संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।

प्र. राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के प्रावधान भारत की वर्तमान जरूरतों के अनुरूप नहीं रह गए हैं , अतः सरकार को एक नयी राष्ट्रीय वन नीति के निर्माण की ओर उन्मुख होना चाहिए । इस कथन पर समालोचनात्मक टिप्पणी करें।

07 भारतीय शहरों में वर्षा जल संरक्षण की जरूरत

चर्चा का कारण

- जलवायु परिवर्तन के चलते अब मॉनसून की प्रकृति बेहद अस्थिर हो गयी है। मॉनसूनी बारिश को लेकर कोई सटीक भविष्यवाणी कर पाना मुश्किल हो गया है। इसके अलावा हाल के वर्षों में किसी सीमित क्षेत्र में अचानक बारिश के बढ़ने से शहरों में बाढ़ की चुनौती बढ़ती जा रही है। इससे कई लोग अपनी जान गवां देते है तो कई लोगों के रोजगार छिन जाते है।
- स्थिति ये है कि मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, और बैंगलोर जैसे बड़े शहर ही नहीं बल्कि भुवनेश्वर, और तिरुवनंतपुरम जैसे छोटे शहर भी नियमित रूप से जल भराव और बाढ़ का शिकार बन रहे हैं। मॉनसून का सीजन आते ही इन शहरों में चाहे कुछ दिनों के लिए ही सही, मगर बाढ़ की समस्या खड़ी जरूर होती है, जिससे जन और धन पर नकरात्मक प्रभाव पड़ता है।

पृष्ठभूमि

- भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा जून 2020 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी, जिसका शीर्षक था–"भारतीय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का मूल्यांकन"।
- इस रिपोर्ट में सरकार द्वारा स्पष्ट कहा गया था कि दिन में एक बार या कई बार अचानक होने वाली भारी बारिश ने पूरे देश में बाढ़ के जोखिम को बढ़ा दिया है साथ ही स्थानीय स्तर पर अचानक भारी बारिश के कारण शहरी इलाकों में बाढ़ की समस्या तेजी से बढ़ती जा रही है।
- इसके अलावा 2019 में दक्षिण पश्चिम मॉनसून सीजन को लेकर हुए एक अध्ययन में भी मॉनसून के अस्थिर होने की बात को विस्तार से बताया गया था। इस अध्ययन में कहा गया था कि वर्तमान समय में बारिश के दिन तो कम हो गए हैं मगर बरसात की मात्रा अधिक हो गई है। इससे कुछ घंटों के भीतर अचानक बहुत तेज बारिश हो जाती है जिससे शहरों की जल निकासी व्यवस्था पर दबाव बहुत बढ़ जाता है।
- इसकी एक वजह ये भी है कि शहरों से जल निकासी के सिस्टम को न तो ऐसे अचानक पड़ने वाले दबाव के लिए डिजाइन किया गया था, न ही उनमें ये क्षमता है कि वो अचानक भारी बारिश के पानी की निकासी का काम कर सकें।

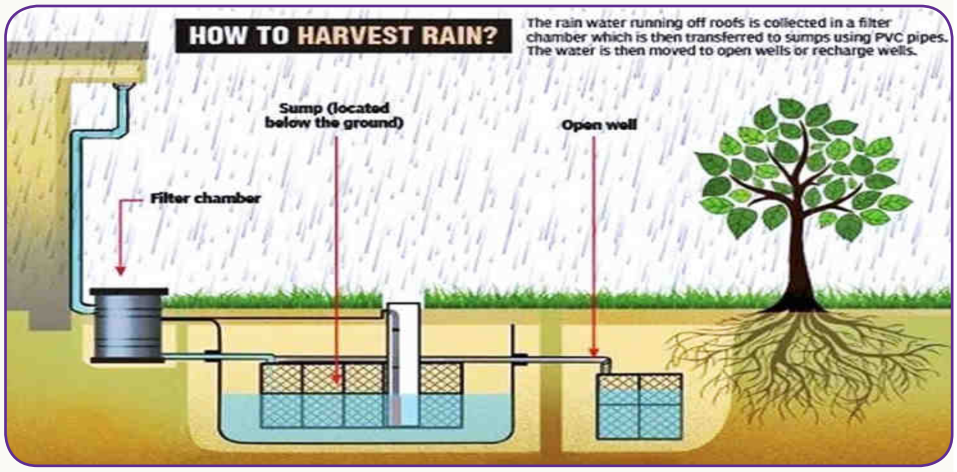

शहरी ड्रेनेज सिस्टम

- शहरों के ड्रेनेज सिस्टम बहुत पुराने पड़ चुके हैं और ये मैनुअल ऑन सीवरेज एंड सीवरेज ट्रीटमेंट द्वारा तय किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार बनाए गए थे।
- शहरों के जल निकासी के सिस्टम के लिए इन दिशा निर्देशों को सेंट्रल पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन (CPHEEO) ने तैयार किया है।
- CPHEEO की गाइडलाइन्स के मुताबिक, भारी बारिश का पानी निकालने वाले नालों को प्रति घंटे 12 से 15 मिलीमीटर बारिश का बोझ सहने के हिसाब से बनाया गया था परन्तु ये मानक आज के दौर की भारी बारिश के लिहाज से बहुत पुराने पड़ चुके हैं।
- इस समस्या का समाधान करने के लिए, 2019 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MOHUA) ने स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम के लिए ड्राफ्ट मैन्युअल को जारी किया था, जिसमें नाले बनाने के नए डिजाइन संबंधी निर्देश थे। राज्य सरकारों को अब इन नए नियमों का पालन करते हुए अपने अपने यहां के शहरी प्रशासन निकायों को ये निर्देश देना था कि वो ड्रेनेज सिस्टम को इन नए दिशा निर्देशों के अनुसार विकसित करें, फिर चाहे इसके लिए उन्हें पुराने ड्रेनेज सिस्टम की जगह नयी व्यवस्था का विकास करना हो या फिर, पुरानी जल निकासी व्यवस्था का पुनर्निर्माण करना पड़ें।
- इस ड्राफ्ट मैन्युअल में ड्रेनेज व्यवस्था के बजट और उसके लिए पूंजी जुटाने को लेकर भी सुझाव दिए गए हैं। हालांकि, अभी इन दिशा निर्देशों को लागू नहीं किया गया है। ये केवल सुझाव के तौर पर दिए गए हैं।
- वर्ष 2018–19 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बॉम्बे (IIT Bombay) ने देश के 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की राजधानियों में भारी बारिश के दिनों पर एक अध्ययन किया था। इस स्टडी में पाया गया कि लगभग हर शहर में एक घंटे की भारी बारिश के दौरान लगभग 50 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी और भारी बारिश के इस आंकड़े का सीधा संबंध इन शहरों में अचानक आई बाढ़ से पाया गया था।
- इस अध्ययन में देखा गया कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में 2018–19 में हर दिन 50 मिलीमीटर से अधिक बारिश की तादाद 11 गुना अधिक थी और मॉनसून सीजन में 100 मिलीमीटर प्रति दिन बारिश होने की मात्रा छह गुना अधिक थी।
- इसी बीच कोलकाता में एक दिन के दौरान 50 मिलीमीटर की मात्रा दस गुना अधिक थी और एक दिन में 100 मिलीमीटर या इससे अधिक बारिश की तादाद पूरे सीजन में तीन गुना अधिक दर्ज की गई।
- इसी दौरान, मुंबई में भारी बारिश के लगातार नए रिकॉर्ड दर्ज किए जा रहे हैं। मुंबई में एक दिन में 50 मिलीमीटर से अधिक बारिश, सीजन में 12 गुना अधिक हो रही है तो एक दिन में 100 मिलीमीटर या इससे अधिक बरसात 2018 के मॉनसून सीजन में नौ गुना

अधिक दर्ज की गई। 24 जून 2018 को मुंबई में 230 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी।

- इन आंकड़ों से साफ है कि जब तक शहरों की जल निकासी की क्षमता को नहीं बढ़ाया जाएगा, तब तक शहरों में जल भराव और बाढ़ की समस्या खत्म नहीं की जा सकेगीद्य

चुनौतियाँ

- बरसाती नालों का आकार बढ़ाने के काम को तो प्राथमिकता के आधार पर करना ही होगा इसके अलावा, शहरों के ड्रेनेज सिस्टम में और भी कई कमियां हैं इन्हीं कमियों के कारण तमाम शहरों की जल निकासी व्यवस्था ढह गई है। आइए हम शहरों के ड्रेनेज सिस्टम की इन खामियो पर एक नजर डालते हैं:
  - **जमीन के भीतर के नालों के आंकड़ों और नक्शों का न होना:** शहरी निकायों के प्रशासन को अक्सर ये पता नहीं होता कि उनके यहां जमीन के नीचे और ऊपर बारिश का पानी निकालने का नेटवर्क कैसा है और कितना बड़ा है। इसकी वजह ये है कि कभी भी शहरी निकाय अपने यहां के नालों और नालियों की मैपिंग नहीं करतेद्य मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में जमीन के नीचे बिछाए गए पाइप सौ साल से भी ज्यादा पुराने हैं।
  - **नालों के रखरखाव और संचालन की व्यवस्था करना:** मुंबई में 2005 में आई बाढ़ के बाद मुंबई नगर निगम ने शहर के नालों को अपग्रेड करने के लिए युद्ध स्तर पर काम शुरू था। इसे बृहनमुंबई स्टॉर्म वाटर ड्रेन अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट (BRIMSTOWAD) का नाम दिया गया था अब इस प्रोजेक्ट को भी पंद्रह बरस बीत चुके हैं, फिर भी 20 अरब रुपयों के इस प्रोजेक्ट का केवल 70 प्रतिशत हिस्सा ही पूरा हुआ है।
  - **ड्रेनेज सिस्टम से कटे हुए अनियमित इलाके:** शहरों में अतिक्रमण करके जो अनियमित बस्तियां बस जाती हैं, वो अक्सर शहर के ड्रेनेज सिस्टम से नहीं जुड़ी होतीं। अक्सर वहां से निकलने वाला पानी, शहर के ड्रेनेज नेटवर्क से जा मिलता है, इन अवैध बस्तियों का पानी, सीवेज और कचरा शहरों के मौजूदा सिस्टम को चोक कर देता है।
  - **फंड की कमी:** शहरों के प्रशासनिक निकायों के पास बारिश के पानी की निकासी के सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए पैसों की भारी कमी है, चूंकि, नगर निगमों का ज्यादातर पैसा मौजूदा सिस्टम के संचालन और रख-रखाव में ही खर्च हो जाता है।

सुझाव

- सभी शहरों के निगमों को चाहिए कि वो अपने यहां की अंडरग्राउंड नालियों और पाइप की मैपिंग करें। इसके अलावा जमीन के ऊपर बने नालों की भी मैपिंग करें, जिससे उनको पता चल सके कि उन शहरों के नालों-नालियों के मौजूदा हालात कैसे हैं। इसके अलावा उन्हें नए बनाए गए नालों के बारे में भी अंदाजा होगा, नालों की मैपिंग से वो पानी के कुदरती बहाव के अनुसार नए नाले या नालियां बना सकेंगे साथ ही अंडरग्राउंड पाइप बिछा सकेंगे।
- इसके अतिरिक्त, नालों की साफ सफाई, उनसे सिल्ट और प्लास्टिक जैसे कचरे निकालने का काम हर मॉनसून सीजन से पहले पूरा किया जाना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारों को चाहिए कि वो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किए गए मैन्युअल के अनुसार इन कामों को प्राथमिकता के आधार पर कराएं।
- ऐसे में शहरी निकायों द्वारा इस बात का सघन अभियान चलाना चाहिए कि या तो वो ऐसी अवैध बस्तियों को बसने से रोकें या फिर, इन बस्तियों में पानी, कचरा और सीवेज की निकासी को शहर के ड्रेनेज नेटवर्क से जोड़ें।
- इस समस्या से निपटने का एक और उपाय ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर रेट्रोफिट के माध्यम से वित्तीय संसाधन जुटाने का है। इसके तहत अमेरिका के चेस्टर शहर की मिसाल दी जाती है।
- चेस्टर शहर ने सामुदायिक स्तर पर निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी (CBP3) की मदद से बारिश के पानी की निकासी के बुनियादी ढांचे की योजना बनाकर, उसके लिए फंड जुटाए और फिर जल निकासी का नेटवर्क तैयार किया। चेस्टर ने इस तरीके से जल निकासी के सिस्टम को बनाने के लिए 5 करोड़ डॉलर जुटाए हैं। अब अगले 20-30 वर्षों में चेस्टर शहर में 350 एकड़ का ड्रेनेज नेटवर्क विकसित किया जाएगा। ये शहर में जल भराव और प्रदूषण की समस्या से छुटकारा दिलाएगा।
- शहरों के ड्रेनेज सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए AMRUT योजना के तहत निकायों को पैसे दिए जाते हैं, जिनका इस्तेमाल होना ही चाहिए। इसके अलावा आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय शहरों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करता है कि वो सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच साझेदारी (PPP) के तहत शहरों के ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाने की कोशिश करें।

आगे की राह

- किसी भी देश की वृद्धि और विकास के लिए प्रभावी जल प्रबंधन बहुत आवश्यक है, इसलिए जल-संचयन और भंडारण पर अधिक गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। कृषि और उद्योगों के साथ विशाल आबादी की पानी संबंधी माँगों को पूरा करने के साथ ही ड्रेनेज सिस्टम को सुधारते हुए भारत को जल उपलब्धता, अनुकूलतम प्रबंधन, बेहतर आवंटन प्रक्रिया, रिसाव की उच्च-दर में कमी लाना, और वर्षाजल संचयन के साथ जलापूर्ति के वैकल्पिक संसाधनों को बढ़ाने के लिए मरम्मत, नवीनीकरण और पुनर्स्थापन (आरआरआर) के लिए व्यक्तिगत, सामूहिक और संस्थानिक प्रयासों को प्रोत्साहित करना चाहिये।

सामान्य अध्ययन पेपर-3

Topic:

- संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।

प्र. शहरों में वर्षा जल प्रबंधन हेतु सरकार द्वारा किये गये प्रयासों पर विस्तार से चर्चा करें।

7 महत्वपूर्ण ब्रेन बूस्टर्स

01 अरब लीग

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में अरब-इजरायल डील के विरोध में फिलिस्तीन के अरब लीग काउंसिल की अध्यक्षता को छोड़ने के बाद अब कतर ने भी अरब लीग के 154 वें नियमित सत्र की अध्यक्षता करने से इनकार कर दिया।

2. विवाद का विषय

- वाशिंगटन में संयुक्त अरब अमीरात इजराइल के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते को 'अब्राहम एकॉर्ड' (Abraham Accord) का नाम दिया गया, अमेरिका ने इसे शांति समझौता कहा था।
- अरब लीग ने इस्राईल और UAE की शांति डील का स्वागत किया, इसके बाद अरब लीग में शामिल बहरीन ने भी इसका समर्थन किया।
- अरब लीग के इस कदम से ही फिलिस्तीन और कतर दोनों देश आहत है। उन्होंने कहा कि वे अपने लोगों की रक्षा करने में सक्षम है और वो लीग द्वारा किए गए समझौते को भी मानने से इनकार करते है इसलिए ही उन्होंने लीग की 154 वी बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया।

4. उद्देश्य

- सदस्य देशों के मध्य संबंधों को और अधिक घनिष्ठ बनाना तथा उनकी राजनीतिक गतिविधियों में समन्वय स्थापित करना; उनकी स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा करना; अरब देश के हितों को प्रोत्साहन देना; सदस्यों के मध्य या सदस्यों तथा किसी तीसरे पक्ष के बीच विवादों में मध्यस्थता करना; सीमा शुल्क, मुद्रा, कृषि, उद्योग, संचार (रेलवे, सड़क, विमानन, जहाजरानी, डाक एवं टार सहित), संस्कृति, राष्ट्रीयता, पासपोर्ट, वीजा, न्यायिक निर्णय एवं प्रत्यर्पण, सामाजिक कल्याण तथा स्वास्थ्य से जुड़े विषयों में सहयोग स्थापित करना।

3. अरब लीग

- अरब लीग मध्य पूर्व में अरब राज्यों का एक क्षेत्रीय संगठन है। औपचारिक नाम-अल-जामिया अद-दुवाल अल-अरबी (अरबी) और इसका मुख्यालय काहिरा, मिस्र में है।
- मिस्र, इराक, जार्डन, लेबनान, सऊदी अरब, सीरिया तथा यमन द्वारा 22 मार्च, 1945 को काहिरा में लीग समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ ही अरब लीग अस्तित्व में आया।
- यह समझौता मिस्र के तत्कालीन प्रधानमंत्री नहास पाशा की पहल थी , जिसे ब्रिटिश सरकार का समर्थन प्राप्त था।
- बाद में 14 अन्य देश और पीएलओ अरब लीग के सदस्य बने फिलीस्तीन को विधित: स्वतंत्र समझा जाता है।
- वर्तमान में, अरब लीग में 22 सदस्य हैं, यद्यपि नवम्बर 2011 में सीरिया की भागीदारी को गृह युद्ध एवं बढ़ते उपद्रव के दौरान सरकारी दमन के परिणामस्वरूप निलम्बित कर दिया गया।

02 G4 सुरक्षा परिषद में समयबद्ध सुधार कि मांग

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में G-4 समूह (भारत, ब्राजील, जापान और जर्मनी) के विदेश मंत्रियों ने एक आभासी बैठक (virtual meeting) में भाग लिया। जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में लंबित सुधारों के लिए 'निर्णायक कदम' उठाए जाने की मांग की गयी।

2. पृष्ठभूमि

- जी 4 उन देशों का एक समूह है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की स्थायी सदस्यता की मांग कर रहे हैं। ये चार देश संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद से परिषद के चुने हुए गैर-स्थायी सदस्यों के रूप में कार्यरत है।
- इन देशों का कहना है कि उनका आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव पिछले दशकों में काफी बढ़ा है, जो स्थायी सदस्यों (पी 5) के बराबर है, अत: उन्हें स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए।
- इस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र महासभा के होने वाले 75 वें सत्र के दौरान चार देशों ने लिखित रूप में और एक समय सीमा के भीतर ठोस परिणाम देने पर जोर दिया। संयुक्त राष्ट्र अपनी 75 वीं वर्षगांठ 24 अक्टूबर 2020 को मनाएगा।

3. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलाव की जरूरत क्यों?

- सुरक्षा परिषद 1945 की राजनीति के हिसाब से बनाई गई थी। मौजूदा भू-राजनीति द्वितीय विश्व युद्ध से काफी अलग है।
- शीतयुद्ध के बाद से ही इसमें सुधार की जरूरत महसूस की जा रही है। इसमें कई तरह के सुधार की जरूरत है जिनमें बनावट और प्रक्रिया सबसे अहम है।
- परिषद के पाँच स्थायी सदस्यों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्राँस, रूस और चीन को 7 दशक पहले केवल एक युद्ध जीतने के आधार पर किसी भी परिषद के प्रस्ताव या निर्णय पर वीटो का विशेषाधिकार प्राप्त है।
- अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका का कोई भी देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। जबकि संयुक्त राष्ट्र का 50 प्रतिशत से अधिक कार्य अकेले अफ्रीकी देशों से संबंधित है।
- पीस कीपिंग अभियानों (peacekeeping operations) में अहम भूमिका निभाने के बावजूद मौजूदा सदस्यों द्वारा उन देशों के पक्ष को नजरंदाज कर दिया जाता है। जिसका भुगतभोगी-भारत है।
- संयुक्त राष्ट्रसंघ के ढांचे में सुधार की एक और जरूरत इसलिए भी है क्यूंकि यहां अमेरिका का वर्चस्व है। सोवियत संघ के विघटन के बाद से ही अमेरिका ही एकमात्र महाशक्ति है। अमेरिका अपनी सैन्य और आर्थिक ताकत के बल पर संयुक्त राष्ट्रसंघ के या किसी दूसरे भी अंतराष्ट्रीय संगठनों की अनदेखी करता रहा है।
- वीटो के चलते कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसला नहीं हो पता

4. UNSC में सुधार की अड़चनें

- UNSC के P-5 सदस्यों की संयुक्त राष्ट्र सुधारों के बारे में अलग-अलग राय है। अलग अलग राय होना UNSC के सुधार को और जटिल बना देता है।
- अमेरिका जहां बहुपक्षवाद के खिलाफ है। तो वहीं रूस भी किसी तरह के सुधार के पक्ष में नहीं है।
- सुरक्षा परिषद् में एशिया का एकमात्र प्रतिनिधि होने की मंशा रखने वाला चीन भी संयुक्त राष्ट्र में किसी तरह का सुधार नहीं चाहता।
- इसके अलावा सुरक्षा परिषद के दो अन्य सदस्य ब्रिटेन और फ्रांस ब्रेग्जिट के चलते उलझे हुए हैं जिसका असर UNSC पर भी पड़ा है।
- साथ ही ये सभी देश एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और यूरोपीय संघ में उभरते नई वैश्विक ताकतों से चिंतित हैं।

5. UNSC सुधारों के लिए भारत का आह्वान

- संयुक्त राष्ट्र, विशेष रूप से इसके प्रमुख अंग, सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करने में भारत सबसे आगे रहा है। भारत, जनवरी 2021 में यूएनएससी पर दो साल का गैर-स्थायी कार्यकाल शुरू करेगा।
- भारत की दावेदारी इस लिए जरूरी है कि क्यूंकि भारत तेजी से अंतराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक शक्ति बनकर उभरा है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की लगभग सभी पहलों में शामिल रहा है।

03 राष्ट्रीय मेडिकल आयोग

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में लोकसभा में National Medical Commission Bill 2019 पेश किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य 63 साल पुराने भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (MCI) को खारिज कर एक नई चिकित्सा शिक्षा प्रणाली मुहैया कराने की है।
- गौरतलब है कि विधेयक के संसद से पारित होने के बाद देश में मेडिकल शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए MCI की जगह राष्ट्रीय मेडिकल आयोग MNC के गठन का रास्ता साफ हो जाएगा। जिसमें पर्याप्त और उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता, चिकित्सा पेशेवरों के जरिए आधुनिक चिकित्सा अनुसंधान को अपनाना, चिकित्सा संस्थानों का समय समय पर मूल्यांकन करना, और एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र तैयार करने जैसे फैसले शामिल है।

2. राष्ट्रीय मेडिकल आयोग

- राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग में कुल 29 सदस्य होंगे जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
- इसके अलावा एक सर्च कमिटी चेयरपर्सन, पार्ट टाइम सदस्यों और NCISM के अंतर्गत गठित चार स्वायत्त बोर्ड के प्रेजिडेंट्स के नामों का सुझाव केंद्र सरकार को देगी।
- सर्च कमिटी में कुल पांच सदस्य होंगे, जिनमें कैबिनेट सेक्रेटरी और केंद्र सरकार द्वारा नामित तीन विशेषज्ञ शामिल होंगे।
- **भारतीय चिकित्सा परिषद को हटा कर राष्ट्रीय मेडिकल आयोग विधेयक क्यों लाया गया है।**
  - ध्यावत है कि MCI की कार्यशैली से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में उसके कामकाज की निगरानी के लिए 6 सदस्यीय कमेटी का गठन का फैसला सुनाया था। लेकिन इसके बाद भी एमसीआई पर कोई फर्क नहीं पड़ा।
  - हालाँकि वर्तमान में सरकार भारतीय चिकित्सा परिषद MCI का कामकाज 12 सदस्यीय बोर्ड ऑफ गवर्नर्स यानी BOG देख रेख में चल रहा है।
  - मौजूदा वक्त में सरकार की कोशिश देश में प्रशिक्षित डॉक्टरों की कमी को दूर करना है ताकि लोगों को सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करायी जा सकें।

3. चुनौतियाँ

- WHO के मुताबिक स्वास्थ्य केवल बीमारी या दु:ख का होना ही नहीं है बल्कि स्वास्थ्य के लिए शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तंदरूस्ती भी पूरी तरह से जरूरी है।
- देश में मौजूद स्वास्थ्य संकट की मुख्य वजहों में बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषण, गरीबी और खाद्य असुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण कारक जिम्मेदार हैं।
- इसके अलावा डॉक्टरों और अस्पतालों की कमी, स्वास्थ्य पर कम खर्च और स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण होने से स्वास्थ्य सेवाएं काफी महंगी हुई है।
- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में औसतन एक डॉक्टर पर करीब 11 हजार की जनसंख्या निर्भर हैं। जबकि WHO के तय मानकों के मुताबिक 1 डॉक्टर पर सिर्फ 1 हजार जनसंख्या होनी चाहिए।

4. संविधान में स्वास्थ्य संबंधित प्रावधान

- भारत में नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार संविधान की धारा 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में मिला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में स्वास्थ्य के अधिकार को जीवन का अधिकार बताया है।
- इसके अलावा संविधान का अनुच्छेद 47 भी राज्यों पर सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार, पोषण स्तर में बढ़ावा और जीवन स्तर को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी देता है।

5. आगे की राह

- मौजूदा वक्त में यदि कानून द्वारा व्यवस्था नहीं बदली जाती है तो WHO के मानकों के आधार पर तय लक्ष्यों को हांसिल कर पाना भारत के लिए मुश्किल होगा। इसलिए अब समय आ गया है कि देश में डॉक्टरों की संख्या, बेहतर प्रशिक्षण और हर क्षेत्र में उनकी उपलब्धता को जल्द से जल्द सुनिश्चित किया जाए।

04 केंद्र द्वारा राज्य को उधार लेने की अनुमति

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में COVID-19 संकट के कारण राजस्व में गिरावट के बीच व्यय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केंद्र ने पांच राज्यों को खुले बाजार उधार के माध्यम से अतिरिक्त 9,913 करोड़ रुपये उधार लेने की अनुमति दी है। ये राज्य हैं– आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटक और त्रिपुरा हैं।

2. पृष्ठभूमि

- इन राज्यों को 'एक देश एक राशन कार्ड' व्यवस्था के क्रियान्वयन को लेकर सुधार शर्तों का सफलतापूर्वक पालन करने के बाद यह मंजूरी दी गयी है।
- इसके अंतर्गत वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाला व्यय विभाग ने कर्नाटक के लिये 4,509 करोड़ रुपये, तेलंगाना के लिये 2,508 करोड़ रुपये और आंध्र प्रदेश के 2,525 करोड़ रुपये के अतिरिक्त कर्ज लेने को मंजूरी दी है।
- साथ ही गोवा को 223 करोड़ रुपये और त्रिपुरा को 148 करोड़ रुपये बाजार से कर्ज लेने की मंजूरी दी गयी है।

3. उधार संबंधित शर्तें

- कोविड-19 संकट को देखते हुए केंद्र ने मई में राज्यों को वित्त वर्ष 2020-21 के लिये सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 2 प्रतिशत तक अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति दी थी अर्थात सभी राज्य कुल मिलाकर 4,27,302 करोड़ रुपये तक उधार ले सकते हैं।
- इस उधार की अनुमति कुछ शर्तों के साथ दी गयी थी जो निम्नलिखित है:
  - इसके तहत कुल 2 प्रतिशत में से केवल 0.5 प्रतिशत बिना किसी शर्त के है। उसके बाद राज्यों को राज्य स्तर पर चार प्रकार के सुधारों को लागू करना होगा। इसमें प्रत्येक सुधार के लिये जीएसडीपी भारांश का 0.25 प्रतिशत रखा गया। यानी इसके आधार पर प्रत्येक सुधार के लिये 0.25 प्रतिशत की दर से कर्ज जुटाने की अनुमति होगी।
- उपर्युक्त वर्णित चार सुधार इस प्रकार हैं–
  - एक देश एक राशन कार्ड व्यवस्था,
  - कारोबार सुगमता में सुधार,
  - शहरी स्थानीय निकाय/ उपयोगी सेवाओं में सुधार तथा
  - वितरण कंपनियों के निजीकरण के जरिये बिजली क्षेत्र में सुधार।
- शेष एक प्रतिशत उधार सीमा को दो किस्तों... 0.50 प्रतिशत-0.50 प्रतिशत में बाँटा की जायेगा ।
- पहले किस्त की अनुमति बिना किसी शर्त के सभी राज्यों को तुरंत मिलेगी।
- वहीं 0.50 प्रतिशत की दूसरे किस्त की अनुमति कम-से-कम उक्त सुधारों में से तीन को लागू करने पर मिलेगी।

5. उद्देश्य

- व्यापक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने का एक व्यापक उद्देश्य यह है कि राज्य की ऋणग्रस्तता राष्ट्र के राजकोषीय स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।

4. उधार लेते समय राज्यों को केंद्र की अनुमति की आवश्यकता क्यों है? क्या यह सभी राज्यों के लिए अनिवार्य है?

- संविधान के अनुच्छेद 293 (3) में राज्यों को ऋण लेने के लिए केंद्र की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, यदि राज्य पिछले ऋण पर केंद्र का ऋणी है।
- यह सहमति अनुच्छेद 293 (4) के आधार पर कुछ शर्तों के अधीन भी दी जा सकती है।
- व्यवहार में, केंद्र वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार इस शक्ति का प्रयोग करता है।
- इसके अलावा केंद्र केवल तभी शर्तें लगा सकता है जब वह राज्य उधार के लिए सहमति देता है, और यह ऐसी सहमति केवल तभी दे सकता है जब राज्य केंद्र का लिए ऋणी हो।

05 आर्मीनिया– अजरबैजान विवाद

1. चर्चा का कारण

- आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच विवादित नागोर्नो–काराबाख (Nagorno-Karabakh) क्षेत्र को लेकर युद्ध की शुरुआत हो गई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जारी हिंसक युद्ध को तत्काल प्रभाव से रोकने और बिना किसी पूर्व शर्त के दोबारा वार्ता शुरू करने को कहा है।
- नागोर्नो–काराबाख इलाके से गैस और कच्चे तेल की पाइपलाइनें गुजरती है इस कारण इस इलाके के स्थायित्व को लेकर जानकार चिंता जता रहे हैं।

2. नागोर्नो–काराबाख की पहाड़ी

- दक्षिणपूर्वी यूरोप में पड़ने वाली कॉकेशस के इलाके की पहाड़ियां रणनीतिक तौर पर बेहद अहम मानी जाती हैं।
- 1920 के दशक में जब सोवियत संघ बना तो आर्मीनिया और अजरबैजान उसका हिस्सा बन गए। ये सोवियत गणतंत्र कहलाते थे। नागोर्नो–काराबाख की अधिकतर आबादी आर्मीनियाई है लेकिन सोवियत अधिकारियों ने उसे अजरबैजान के हाथों सौंप दिया। इसके बाद दशकों तक नागोर्नो–काराबाख के लोगों ने कई बार ये इलाका आर्मीनिया को सौंपने की अपील की। लेकिन असल विवाद 1980 के दशक में शुरू हुआ जब सोवियत संघ का विघटन शुरू हुआ और नागोर्नो–काराबाख की संसद ने आधिकारिक तौर पर खुद को आर्मीनिया का हिस्सा बनाने के लिए वोट किया।
- वैश्विक कानूनों के तहत इस 4,400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अजरबैजान का बताया जा चुका है, लेकिन यहां आर्मेनियाई मूल (ईसाई) की आबादी अधिक है।
- मई 1994 में दोनों देशों के बीच संघर्ष को बढ़ते देख रूस ने आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध विराम की मध्यस्थता की, किंतु समय-समय पर संघर्ष विराम उल्लंघन और हिंसा के उदाहरण देखने को मिलते हैं। गौरतलब है कि आर्मीनिया के साथ तुर्की के कोई आधिकारिक संबंध नहीं हैं. 1993 में जब आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच सीमा विवाद बढ़ा तो अजरबैजान का समर्थन करते हुए तुर्की ने आर्मीनिया के साथ सटी अपनी सीमा बंद कर दी।

5. अन्य देशों की प्रतिक्रिया

- अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हिंसा रोकने के लिए अपील की है। फ्रांस ने भी दोनों देशों से तुरंत लड़ाई बंद कर बातचीत का रास्ता तलाशने की अपील की है। फ्रांस में बड़ी संख्या में आर्मीनियाई लोग रहते हैं।
- ईरान विवाद में फंसे दोनों देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उसने कहा है कि दोनों देश बातचीत की मेज पर आएं तो वो मध्यस्थता करने के लिए तैयार है।

3. नागोर्नो–काराबाख रणनीतिक महत्व

- ऊर्जा संपन्न अजरबैजान ने काकेशस (काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच का क्षेत्र) से तुर्की और यूरोप तक कई गैस और तेल पाइपलाइनों का निर्माण किया है।
- इसमें बाकू–तबलिसी–सेहान तेल पाइपलाइन (एक दिन में 1.2 बिलियन बैरल परिवहन की क्षमता के साथ), पश्चिमी मार्ग निर्यात तेल पाइपलाइन, ट्रांस–अनातोलियन गैस पाइपलाइन और दक्षिण काकेशस गैस पाइपलाइन शामिल हैं।
- इनमें से कुछ पाइपलाइनें संघर्ष क्षेत्र (सीमा के 16 किमी के भीतर) के करीब से गुजरती हैं। दोनों देशों के बीच एक खुले युद्ध में, पाइपलाइनों को लक्षित किया जा सकता है, जो ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित करेगा।

4. रूस एवं तुर्की की प्रतिक्रिया

- अजरबैजान और आर्मेनिया के युद्ध में रूस के शामिल होने की संभावना अब बढ़ने लगी है. क्योंकि आर्मेनिया के साथ रूस का रक्षा समझौता है। ऐसे में अगर आर्मेनिया की बात होगी तो रूस का होना भी अनिवार्य है।
- 28 सितंबर को, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तईप एर्दोगन ने अर्मेनिया को हालिया संघर्ष के लिए दोषी ठहराया और अजरबैजान को समर्थन की पेशकश की है। मीडिया रेपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की, काकेशस में अजरबैजान का साथ देने के लिए पश्चिम एशिया के भाड़े के सैनिकों की भर्ती कर रहा है।
- रूस अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों के साथ अच्छे संबंध रखता है और दोनों को हथियारों की आपूर्ति करता है। लेकिन अर्मेनिया ऊर्जा संपन्न, महत्वाकांक्षी अजरबैजान की तुलना में रूस पर अधिक निर्भर है। रूस का आर्मेनिया में भी सैन्य अड्डा है। लेकिन मास्को, कम से कम सार्वजनिक रूप से, दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है।

06 मीडिया के लिए आचार संहिता की आवश्यकता

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सुदर्शन टीवी के विवादित कार्यक्रम UPSC जिहाद टैगलाइन के साथ 'बिंदास बोल' पर रोक से जुड़ी सुनवाई के दौरान टीवी चैनलों की कार्यशैली पर तीखी टिप्पणियां की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह सरकार से मीडिया पर कोई गाइडलाइंस थोपने के लिए नहीं कह रहा है, क्योंकि यह अनुच्छेद 19(1)(ए) के लिए अभिशाप जैसा होगा। किन्तु क्या मीडिया को खुद ही अपने मानक तय नहीं करने चाहिए।
- केंद्र सरकार ने सुदर्शन टीवी मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. सरकार ने कहा कि वेब आधारित डिजिटल मीडिया (Digital Media) को पहले नियंत्रित करना होगा, तभी टीवी चैनलों पर नियंत्रण किया जा सकता है। केंद्र ने कहा कि कोर्ट चाहे तो डिजिटल मीडिया को लेकर कानून बनाए या कानून बनाने के लिए इसे सरकार पर छोड़ दे।

2. सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

- किसी एक समुदाय को बदनाम करने के प्रयास को अदालत द्वारा बहुत ही अपमान के साथ देखा जाना चाहिए, क्योंकि अदालत सांविधानिक अधिकारों की संरक्षक होती है। कोर्ट ने कहा, ऐसे कार्यक्रम जो एक विशेष समुदाय को गलत ढंग से दिखाने की प्रवृत्ति रखते हैं, वे सिर्फ अभिव्यक्ति के अधिकार और स्वतंत्र प्रेस के अधिकार का दावा करके अदालती परीक्षण से बच नहीं सकते।

3. आचारसंहिता की आवश्यकता क्यों

- भारत में मीडिया ज्यादातर स्व-विनियमित है। मीडिया के विनियमन के लिए मौजूदा निकाय जैसे कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो एक सांविधिक निकाय है और न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, एक स्व-नियामक संगठन है, मानकों एवं दिशानिर्देशों को जारी करता है। विश्लेषकों का मानना है कि टेलीविजन और रेडियो को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया या एक समान नियामक संस्था के दायरे में लाने की आवश्यकता है।
- संचार क्रांति ने अखबारों, चैनलों तथा उसके पाठकों और दर्शकों के बीच का संवाद तंत्र मजबूत किया है। संचार और सूचना क्रांति ने अखबारों और चैनलों का विस्तार बहुत सस्ता और आसान कर दिया है। यही कारण है कि समाचार चैनल चौबीस घंटे हर तरह की खबरें दे रहे हैं। अखबार भी देर रात तक की घटनाओं को विस्तार से कवरेज दे रहे हैं। अखबारों और चैनलों की यह हैरतअंगेज तेजी एक तरफ है। जमीनी हकीकत यह है कि मीडिया गंभीर संक्रमण और अग्निपरीक्षा के दौर से गुजर रहा है। मीडिया संगठनों में विश्वसनीयता और संचित गुडविल की कीमत पर मुनाफा कमाने की होड़ लगी है। पैसा कमाने के लिए कई तरीके अख्तियार किए जा रहे हैं।
- अधिकांश इलेक्ट्रोनिक मीडिया साम्प्रदायिकता की आग उगल रहा है। सोशल मीडिया द्वारा आग में घी डाला जा रहा है। ऐसे विषैले माहौल में भी अनेक लोग इस संकट को न सिर्फ सही परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं अपितु मीडिया को चेता भी रहें हैं।

5. आगे की राह

- अनुच्छेद 51 [ए][एच] के अनुसार हर भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। कि वह मानववाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का विकास करे। नागरिक समाज की इस अपील हर मीडियाकर्मी को गौर करना चाहिए।

4. क्या टेलीविजन चैनलों द्वारा स्व नियमन की एक प्रक्रिया है?

- आज समाचार चैनल स्व-नियमन के तंत्र द्वारा संचालित होते हैं। ऐसा ही एक तंत्र न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन द्वारा बनाया गया है। एनबीए ने टेलीविजन सामग्री को विनियमित करने के लिए एक आचार संहिता तैयार की है।
- एनबीए के समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण (एनबीएसए) को मीडिया द्वारा आचारसंहिता के उल्लंघन के लिए 1 लाख रुपये के जुर्माना लगाया जा सकता है। इसी तरह का एक अन्य संगठन ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन है। एडवरटाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने विज्ञापनों की सामग्री पर दिशानिर्देश भी तैयार किए हैं। ये समूह कोई वैधानिक शक्तियाँ नहीं रखते हैं।

07 लोक अदालत

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में ओडिशा के कंधमाल जिले में एक दैनिक मजदूर ने लोक अदालत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। वह अपने फिंगरप्रिंट को तकनीकी खराबी के कारण विभिन्न प्रयासों के बावजूद अपने आधार कार्ड में दर्ज करवाने में विफल रहा है। इस कारण उसने लोक अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

2. लोक अदालत क्या है?

- लोक अदालत एक ऐसी अदालत/मंच है जहाँ पर न्यायालयों में विवादों/लंबित मामलो या मुकदमेबाजी से पहले की स्थिति से जुड़े मामलो का समाधान समझौते से और सौहार्दपूर्ण तरीके से किया जाता है। इसमें विवादों के दोनों पक्ष के मध्य उत्पन हुए विवाद को बातचीत या मध्यस्ता के माध्यम से उनके आपसी समझौते के आधार पर निपटाया जाता है।
- लोक अदालत का अर्थ है लोगों का न्यायालय। यह एक ऐसा मंच है जहां विवादों को आपसी सहमति से निपटाया जाता है। यह गांधी जी के सिद्धांतों पर आधारित है।
- लोक अदालत विवादों को निपटाने का वैकल्पिक साधन है। लोक अदालत बेंच सभी स्तरों जैसे सर्वोच्च न्यायालय स्तर, उच्च न्यायालय स्तर, जिला न्यायालय स्तर पर दो पक्षों के मध्य विवाद को आपसी सहमति से निपटानें के लिए गठित की जाती है।
- लोक अदालत को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत लोक अदालत को वैधानिक दर्जा दिया गया है। जिसके तहत लोक अदालत के अवार्ड (निर्णय) को सिविल न्यायालय का निर्णय माना जाता है, जो कि दोनों पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है। लोक अदालत के अवार्ड (निर्णय) के विरुद्ध किसी भी न्यायलय में अपील नहीं की जा सकती है।

3. लोक अदालत में किन विवादों को निपटाया जाता है?

- न्यायालय में लंबित मुकदमां का समझौता-केवल ऐसे आपराधिक मुकदमों को छोड़कर जिनमें समझौता कानूनन संभव नही है, सभी प्रकार के सिविल एवं आपराधिक मुकदमें भी इन लोक अदालतों में आपसी समझौते के द्वारा निपटाये जातें हैं।
- न्यायालय में मुकदमा जाने से पहले समझौता ख्र ऐसे विवाद जिन्हें न्यायालय के समक्ष दायर नही किया गया है उनका भी प्री लिटिगेशन स्तर पर यानि मुकदमा दायर किये बिना ही दोनो पक्षों की सहमति से लोक अदालतों में निस्तारण किया जा सकता है।

4. लोक अदालत की विशेषताएँ

- इसमें कोई कोर्ट फीस नही होती। यदि न्यायालय में लंबित मुकदमें में कोर्ट फीस जमा भी करवाई गई हो तो लोक अदालत में विवाद का निपटारा हो जाने पर वह फीस वापिस कर दी जाती है।
- इसमें दोनों पक्षकार जज के साथ स्वयं अथवा अधिवक्ता के द्वारा बात कर सकतें हैं जो कि नियमित कोर्ट में संभव नही होता।
- लोक अदालत का मुख्य गुण है अनौपचारिकता व त्वरित न्याय।
- लोक अदालत के द्वारा पास अवार्ड दोनो पक्षों के लिए बाध्यकारी होता है। इसे डिक्री कहा जाता है और इसके विरूद्ध अपील नही होती।

5. स्थायी लोक अदालत क्या हैं?

- स्थायी लोक अदालत का गठन विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियमए 1987 की धारा 22-बी की उप धारा (1) के अंतर्गत हुआ है। जनहित सेवाओं से संबंधित विभाग जैसे बिजली, पानी, अस्पताल आदि से संबंधित मामलों को, मुकदमें दायर करने से पहले आपसी सुलह से निपटाने के लिए राज्य प्राधिकरण द्वारा स्थायी लोक अदालतों की स्थापना की गई है।
- कोई भी पक्ष जिसका संबंध इन जनहित सेवाओं से है वह इन विवादों को निपटाने के लिए स्थायी लोक अदालत में आवेदन कर सकता है।

7 वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर (ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

01 अरब लीग

प्र. अरब लीग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. अरब लीग मध्य पूर्व में अरब राज्यों का एक क्षेत्रीय संगठन है।
2. वर्तमान में अरब लीग में 22 सदस्य हैं।
3. अरब लीग की स्थापना 22 मार्च, 1945 को की गई थी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2 और 3
(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तरः (c)

व्याख्याः अरब लीग मध्य पूर्व में अरब राज्यों का एक क्षेत्रीय संगठन है। वर्तमान में अरब लीग में 22 सदस्य हैं। अरब लीग की स्थापना 22 मार्च, 1945 को की गई थी। इस तरह तीनों कथन सही हैं, अतः उत्तर (c) होगा।

02 जी-4 सुरक्षा परिषद में समयबद्ध सुधार की माँग

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए

1. सुरक्षा परिषद की स्थापना वर्ष 1945 में की गई थी।
2. अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका का कोई भी देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है।
3. सुरक्षा परिषद के पाँच स्थायी सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस रूस और चीन हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

उत्तरः (d)

व्याख्याः सुरक्षा परिषद की स्थापना वर्ष 1945 में की गई थी। अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका का कोई भी देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। सुरक्षा परिषद के पाँच स्थायी सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस रूस और चीन हैं। इस तरह तीनों कथन सही है, अतः उत्तर (d) होगा।

03 राष्ट्रीय मेडिकल आयोग

प्र. राष्ट्रीय मेडिकल आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग में कुल 29 सदस्य होंगे।
2. भारत में नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार संविधान की धारा 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में मिला हुआ है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तरः (c)

व्याख्याः राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग में कुल 29 सदस्य होंगे। भारत में नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार संविधान की धारा 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में मिला हुआ है। इस तरह दोनों कथन सही है, अतः उत्तर (c) होगा।

04 केन्द्र द्वारा राज्य को उधार लेने की अनुमति

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. संविधान के अनुच्छेद 293 (3) में राज्यों को ऋण लेने के लिए केन्द्र की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता है।
2. व्यापक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने का एक व्यापक उद्देश्य यह है कि राज्य की ऋणग्रस्तता राष्ट्र के राजकोषीय स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तरः (c)

व्याख्याः संविधान के अनुच्छेद 293 (3) में राज्यों को ऋण लेने

के लिए केन्द्र की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता है। व्यापक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने का एक व्यापक उद्देश्य यह है कि राज्य की ऋणग्रस्तता राष्ट्र के राजकोषीय स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। इस तरह दोनों कथन सही है, अतः उत्तर (c) होगा।

05 आर्मीनिया–अजरबैजान विवाद

प्र. आर्मीनिया-अजरबैजान विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. नार्गेनों-काराबाख की अधिकतर आबादी आर्मीनियाई हैं।
2. नार्गोर्नों-काराबाख इलाके से गैस और कच्चे तेल की पाइपलाइनें गुजरती हैं।
3. ऊर्जा संपन्न अजरबैजान में काकेशस से तुर्की और यूरोप तक कई गैस और तेल पाइपलाइनों का निर्माण किया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 1 और 2
(c) 1, 2 और 3 (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तरः (c)

व्याख्याः आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच नागोर्नो काराबाख क्षेत्र को लेकर युद्ध की शुरूआत हो गई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इस युद्ध तत्काल प्रभाव से रोकने और बिना किसी पूर्व शर्त के दोबारा वार्ता शुरू करने को कहा है। इस संदर्भ में उपर्युक्त तीनों कथन सही हैं। अतः उत्तर (c) होगा।

06 मीडिया के लिए आचारसंहिता की आवश्यकता

प्र. मीडिया के लिए आचारसंहिता की आवश्यकता के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए-

(a) आज समाचार चैनल स्व-नियमन के तंत्र के द्वारा संचालित होते हैं।
(b) एनबीए ने टेलीविजन सामग्री को विनियमित करने के लिए एक आचार संहिता तैयार की है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तरः (c)

व्याख्याः हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सुदर्शन टीबी के विवादित कार्यक्रम UPSC जिहाद टैगलाइन के साथ 'बिंदास बोल' पर रोक से जुड़ी सुनवाई के दौरान टीबी चैनलों की कार्यशैली पर तीखी टिप्पणियाँ की। इस संदर्भ में उत्तर (c) होगा।

07 लोक अदालत

प्र. लोक अदालत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. लोक अदालत का अर्थ है लोगों का न्यायालय
2. लोक अदालत एक ऐसा मंच है जहाँ विवादों को आपसी सहमति से निपटाया जाता है।

03. यह गाँधी जी के सिद्धांतों पर आधारित है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तरः (c)

व्याख्याः हाल ही में ओडिशा के कंधमाल जिले में एक दैनिक मजदूर ने लोक अदालत में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। ज्ञातव्य है कि वह अपने फिंगर प्रिंट को तकनीकी खराबी अपने आधार कार्ड में दर्ज करवाने में विफल रहा है। लोक अदालत के संदर्भ में उपर्युक्त तीनों कथन सही है। अतः उत्तर (c) होगा।

7 महत्वपूर्ण खबरें

01 रक्षा क्षेत्र

चर्चा में क्यों

- हाल ही में भारत सरकार के केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के तहत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए एक स्टार्टअप चैलेंज 'डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज' (डिस्क-4) शुरू किया है।
- कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्रालय ने आईडीईएक्स 4 फौजी पहल (iDEX4Fauji initiative) और उत्पाद प्रबंधन दृष्टिकोण (Product Management Approach-PMA) हेतु दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं।

डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज' (डिस्क-4)

- इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस (आईडीईएक्स) इकोसिस्टम के विस्तारीकरण के उद्देश्य हेतु रक्षा मंत्रालय द्वारा 'डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज' (डिस्क-4) शुरू किया गया है।
- 'डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज' (Defence India Startup Challenge DISC-4 के तहत रक्षा क्षेत्र के उत्कृष्ट शोधों के लिए वातावरण तैयार होगा।
- इससे इस रक्षा कार्यक्रम की गुणात्मकता और गुणवत्ता दोनों ही बढ़ने की पूरी उम्मीद है।
- डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज (डिस्क-4) के तहत, सशस्त्र बलों, ओएफबी और डीपीएसयू की ग्यारह चुनौतियों को संभावित स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स, एमएसएमई के लिए समान रूप से खोल दिया गया, ताकि वे प्रौद्योगिकियों पर अपने अभिनव विचार प्रदान कर सकें। चुनौतियां इस प्रकार हैं:

1. स्वतंत्र अंतर्जलीय समूह ड्रोन
2. भविष्य सूचक, निवारक और निर्देशात्म क मशीन निगरानी
3. सुपर रिजोल्यूसन फार इम्प्रूविंग स्पेसियल रिजोल्यूसन (Super Resolution for Improving Spatial Resolution)
4. एआई आधारित सैटेलाइट इमेज एनालिसिस
5. वायुमंडलीय दृश्यता की भविष्यवाणी और पूर्वानुमान
6. वर्चुअल प्रशिक्षण के लिए कंप्यूटर में तैयार लक्ष्य
7. विमान में चालक दल के सदस्यों की रिमोट रियल टाइम विमान के भीतर स्वास्थ्य निगरानी
8. एमएफ-टीडीएमए वाइडबैंड सेटकॉम मॉडेम
9. फोलिएज पेनिट्रेसन रडार (Foliage Penetration Radar)
10. नौसैनिक युद्धपोतों के आरसीएस में कमी
11. चाफ वातावरण में लक्ष्य का पता लगाना (Target Detection in Chaff Environment)

इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस (आईडीईएक्स)

- रक्षा उत्पादन विभाग की आईडीईएक्सक पहल को अप्रैल, 2018 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय रक्षा क्षेत्र में नवाचारों को प्रोत्साहित करने और विकसित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
- इसके तहत एक इकोसिस्टम का निर्माण किया गया था जहाँ स्टार्टअप, एमएसएमई और व्यक्तिगत नवाचारकर्ता भारतीय रक्षा प्रतिष्ठानों के साथ आसानी से बातचीत कर सकते हैं और नवीन समाधानों के सह-विकास और सह-उत्पादन के माध्यम से परिचालन वातावरण में अनुभव की गई विशिष्ट चुनौतियों के लिए नवीनतम तकनीकी नवाचार प्रदान करते हैं।

आईडीईएक्स 4 फौजी पहल (iDEX4 Fauji initiative)

- आईडीईएक्स 4 फौजी (iDEX4Fauji) अपनी तरह की पहली पहल है, जो भारतीय सशस्त्र

बलों के सदस्यों द्वारा पहचाने गए नवाचारों को सहयोग देने के लिए शुरू की गई है।

- मैदान में और सीमाओं पर 13 लाख से अधिक सेवा कर्मी काम कर रहे हैं, अत्यन्तय कठिन परिस्थितियों का निर्वाह कर रहे हैं और उपकरणों को संभाल रहे हैं। इस तरह के उपकरणों को बेहतर बनाने के लिए उनके पास अनेक विचार और नवीन अविष्काणर हो सकते हैं। इस तरह के नवीन अविष्कोरों को सहयोग करने हेतु पहले कोई तंत्र नहीं था, किन्तु अब 'आईडीईएक्सो 4 फौजी' पहल इन अविष्काएरों को आगे बढ़ाएगी।

रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भूमिका

- हमारी रक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने और इसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी भी महत्वपूर्ण है।
- इसके लिए भारत सरकार ने कुछ कदम भी उठाए हैं, जैसे -निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, स्वचालित मार्ग के माध्यम से 74% एफडीआई और हाल ही में अनुबंधित अवधि के बाद आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी की गई 101 वस्तुओं की नकारात्मक सूची शामिल है।
- भारत सरकार ने हाल ही में रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया -2020 शुरू की है, जो निजी क्षेत्र को रक्षा क्षेत्र में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती है।

02 अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन मिशन (एएसआईआईएम)

चर्चा में क्यों

- हाल ही में भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति (एससी) के छात्रों के बीच नवाचार और उद्यम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वेंचर कैपिटल फंड के तहत अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन मिशन (एएसआईआईएम) का शुभारंभ किया।

अनुसूचित जाति (एससी) हेतु वेंचर कैपिटल फंड (वीसीएफ-एससी)

- सामाजिक न्यालय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने अनुसूचित जाति/दिव्यांग युवाओं में उद्यमिता विकसित करने और उन्हें श्नौकरी देने वालेश बनने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से 2014-15 में एससी के लिए वेंचर कैपिटल फंड (वीसीएफ-एससी) की शुरुआत की थी।
- इस फंड का उद्देश्य अनुसूचित जाति के उद्यमियों की संस्थाओं को रियायती वित्त प्रदान करना है।
- इस फंड के तहत एससी उद्यमियों द्वारा प्रोन्नत 117 कंपनियों को बिजनेस वेंचर स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता मंजूर की गई है।

अंबेडकर सोशल इनोवेशन इनक्यूबेशन मिशन (एएसआईआईएम)

- "अंबेडकर सोशल इनोवेशन इनक्यूबेशन मिशन" (एएसआईआईएम) पहल के तहत, विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रौद्योगिकी व्यापार इनक्यूबेटर (टीबीआई) के माध्यम से अगले 4 वर्षों में स्टार्ट-अप विचारों के साथ 1,000 अनुसूचित जाति युवाओं की पहचान की जाएगी।
- उन्हें इक्विटी फंडिंग के तौर पर 3 साल में 30 लाख रुपये का फंड दिया जाएगा ताकि वे अपने स्टार्ट-अप के विचार को वाणिज्यिक उद्यम में परिवर्तित कर सकें।
- सफल उपक्रम अनुसूचित जाति के लिए वेंचर कैपिटल फंड से 5 करोड़ रुपये तक की वेंचर फंडिंग के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे।
- एएसआईआईएम की पहल को वेंचर कैपिटल फंड फॉर एससी (वीसीएफ-एससी) द्वारा लागू किया जाएगा।
- केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि मंत्रालय ने अनुसूचित जातियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड (वीसीएफएससी) के माध्यम से एएसआईआईएम शुरू करने का फैसला किया है। इसके उद्देश्यों में दिव्यांगों को विशेष वरीयता के साथ अनुसूचित जाति के युवाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना; विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित प्रौद्योगिकी व्यापार इनक्यूबेटर (टीबीआई) के साथ तालमेल के माध्यम से 2024 तक 1000 अभिनव विचारों का समर्थन करना; समर्थन करने के लिए, बढ़ावा देने, स्टार्ट-अप विचारों को एक मजबूत सहारा देना जब तक वे उदार इक्विटी समर्थन प्रदान करके वाणिज्यिक स्तर तक पहुंचे; और अभिनव विचारों वाले छात्रों को विश्वास के साथ उद्यमवृति चुनने के लिए प्रोत्साहित करना इसमें शामिल है।

03 ऑसुडु झील (Oussudu Lake)

चर्चा में क्यों

- हाल ही में पुदुचेरी के मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी ने ऑसुडु इंटरप्रिटेशन सेंटर (Oussudu Interpretation Centre) का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य एशिया के एक महत्वपूर्ण वेटलैंड (ऑसुडु झील) के वनस्पतियों और जीवों का अध्ययन करना है।

प्रमुख बिन्दु

- ऑसुडु इंटरप्रिटेशन सेंटर, झील (ऑसुडु झील) की पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताओं को दर्शाता है।
- इस सेंटर को ऑसुडु झील के एविफुना (avifauna), कलात्मक भूनिर्माण (artistic landscaping), श्री आयामी मॉडलिंग (three-dimensional modelling), चित्रों और पत्थर की मूर्तियों के मिश्रण के माध्यम से तैयार किया गया है।

- पुदुचेरी के मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी ने औपचारिक रूप से हाल ही में जनता के लिए ऑसुडु इंटरप्रिटेशन सेंटर खोला है।

ऑसुडु झील (Oussudu Lake)

- ऑसुडु झील को औस्टेरी झील (Ousteri Lake) भी कहा जाता है जो पुदुचेरी में स्थित है।
- यह एक मानव निर्मित झील है।
- ऑसुडु झील को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज (IUCN) द्वारा एशिया के महत्वपूर्ण वेटलैंड्स में से एक माना गया है।
- इस झील में वनस्पति विविधता काफी अधिक पायी जाती है।
- यह झील प्रवासी एविफौना (migratory avifauna) के साथ-साथ देशी पक्षियों को गर्मी और सर्दियों के दौरान सहारा देती है।

04 डार्क एज और प्रथम तीव्र-यूवी प्रकाश

चर्चा में क्यों

- हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने एक महत्वपूर्ण जानकारी का पता लगाया है कि ब्रह्मांड का अंधेरा युग (dark ages) कैसे समाप्त हुआ और पहला तीव्र-यूवी प्रकाश (first extreme-UV light) कैसा दिखाई दिया।
- भारत की पहली मल्टी-वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी एस्ट्रोसैट ने पृथ्वी से 9.3 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक आकाशगंगा 'एयूडीएफएस 01' से अत्यधिक-यूवी प्रकाश का पता लगाया है।

'एयूडीएफएस 01' (AUDFs01) आकाशगंगा

- यह आकाशगंगा पृथ्वी से 9.3 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर अन्तरिक्ष में स्थित है। इसे 'एयूडीएफएस 01' (AUDFs01) कहा जाता है। इसी आकाशगंगा से उत्सर्जित हो रहे तीव्र-यूवी (ईयूवी) प्रकाश का एस्ट्रोसैट ने पता लगाया है।
- उस समय, हमारा ब्रह्मांड अपने चरम पर सितारों का निर्माण कर रहा था। इस तरह के ईयूवी विकिरण में नाभिकीय प्रभाव से अपने इलेक्ट्रॉन को मुक्त करके हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा होती है।
- 'एयूडीएफएस 01'(AUDFs01) जैसी आकाशगंगाओं द्वारा उत्सर्जित ईयूवी फोटॉन (EUV photons), कॉस्मिक डार्क एज (Cosmic Dark Age) के तुरंत बाद शुरुआती ब्रह्मांड को फिर से प्रकाशित करने और पहली रोशनी उत्सर्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
- 'एयूडीएफएस 01'(AUDFs01), एक लीकिंग आकाशगंगा (leaking galaxy) का पहला उदाहरण है जिसमें क्लम्पी आकारिकी (clumpy morphology) है।
- एयूडीएफएस 01 नामक इस आकाशगंगा की खोज इंटर-यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स (आईयूसीएए), पुणे खगोलविदों ने की थी।

लाभ

- यह खोज इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण सुराग है कि ब्रह्मांड के अंधकार के युग कैसे समाप्त हुए।
- इसके अतिरिक्त, इससे ब्रह्मांड में प्रकाश के सबसे शुरुआती स्रोतों को खोजना भी मुमकिन हो पाएगा।
- इससे प्रकट होता है कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की क्षमता एक विशिष्ट स्तर पर पहुंच चुकी है।

एस्ट्रोसैट (AstroSat) के बारे में

- एस्ट्रोसैट, भारत की पहली समर्पित बहु-तरंगदैर्ध्य अंतरिक्ष वेधशाला या दूरबीन (multi-wavelength space Observatory or telescope) है।
- यह वैज्ञानिक उपग्रह मिशन हमारे ब्रह्मांड को अधिक विस्तृत समझने का प्रयास है।
- एस्ट्रोसैट को 28 सितंबर, 2015 को भारतीय

अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा प्रक्षेपित किया गया था।

- एस्ट्रोसैट को एस्ट्रोसैट-1 भी कहा जाता है।
- एस्ट्रोसैट ऑप्टिकल, पराबैंगनी, निम्न और उच्च ऊर्जा विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम के एक्स-रे क्षेत्रों में ब्रह्मांड का अवलोकन करता है, जबकि अधिकांश अन्य वैज्ञानिक उपग्रह तरंगदैर्ध्य बैंड के सीमित दायरे के अवलोकन के लिए सक्षम हैं। एस्ट्रोसैट की बहु तरंगदैर्ध्य अवलोकनों को आगे समन्वित अन्य अंतरिक्ष यान और भू आधारित अवलोकनों का उपयोग कर बढ़ाया जा सकता है। सभी प्रमुख खगोल विज्ञान संस्थान और भारत में कुछ विश्वविद्यालय इन अवलोकनों में भाग लेते हैं।

एस्ट्रोसैट मिशन के वैज्ञानिक उद्देश्य

- न्यूट्रॉन तारे और ब्लैक होल युक्त द्विआधारी स्टार सिस्टम में उच्च ऊर्जा प्रक्रियाओं को समझना।
- न्यूट्रॉन तारे का चुंबकीय क्षेत्र का अनुमान लगाना।
- हमारी आकाशगंगा के बाहर स्थित स्टार जन्म क्षेत्रों और स्टार सिस्टम में उच्च ऊर्जा प्रक्रियाओं का अध्ययन करना।
- आकाश में नए अल्पावधि उज्ज्वल एक्स-रे स्रोतों का पता लगाना।
- पराबैंगनी क्षेत्र में ब्रह्मांड के सीमित गहण क्षेत्र का सर्वेक्षण करना। एस्ट्रोसैट-2
- एस्ट्रोसैट-2, वर्तमान एस्ट्रोसैट-1 वेधशाला के उत्तराधिकारी के रूप में इसरो द्वारा प्रस्तावित भारत का दूसरा समर्पित मल्टी-वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप है।

05 डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट-2020

चर्चा में क्यों

- हाल ही में केंद्रीय गृहमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से "डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट-2020" (Destination North East-2020) का उद्घाटन किया। केंद्रीय गृहमंत्री पूर्वोत्तर परिषद के अध्यक्ष भी हैं।

प्रमुख बिन्दु

- पूर्वोत्तर भारत का गहना है, उसके बिना भारतीय संस्कृति अधूरी हैं। यहाँ की मनोहरी सुंदरता का परिदृश्य, अनंत विशालता का मंत्र देने वाली स्थानीय आबादी का एक अद्भुत मिश्रण पूरी दुनिया को एक संदेश देता है।
- प्राकृतिक सौंदर्य, लोक संस्कृति और कला से भरपूर पूर्वोत्तर विश्व पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र बनने में सक्षम है।
- 14वें वित्त आयोग ने पूर्वोत्तर के लिए आवंटन में 251 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए 3,13,375 करोड़ रुपये दिये हैं। भारत सरकार ने विकास का सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी स्वरूप अपनाते हुए पूर्वोत्तर परिषद के बजट का 21 प्रतिशत पिछड़े जिलों, गाँवों, पिछड़े क्षेत्रों और विकास से वंचित समुदाय पर खर्च करने का फैसला किया है।

डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट-2020

- यह कार्यक्रम मुख्य रूप से पर्यटन पर केंद्रित है।
- डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय का एक कैलेंडर ईवेंट है जिसे पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के अन्य हिस्सों के करीब लाने और राष्ट्रीय एकीकरण को मजबूत करने के उद्देश्य से संकल्पित किया गया है।
- चार दिवसीय कार्यक्रम में राज्यों और क्षेत्र के पर्यटन स्थलों की ऑडियो विजुअल प्रस्तुति, राज्य के प्रसिद्ध और उपलब्धियां हासिल करने वाले व्यक्तियों के संदेश, प्रमुख स्थानीय उद्यमियों से परिचय कराया जाएगा और इसमें हस्तकला/पारंपरिक फैशन/और स्थानीय उत्पादों की आभासी प्रदर्शनी की सुविधा होगी।
- साथ ही राज्य अपनेख्रअपने सांस्कृतिक कार्यक्रम और मिली-जुली संस्कृतियों के संयोजन का प्रदर्शन करेंगे।

डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट-2020 का उद्देश्य

- 30 सितंबर तक चलने वाले 'डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट-2020' का उद्देश्य पूर्वोत्तर के पर्यटनस्थलों के साथ-साथ देश की विभिन्न संस्कृतियों का एक-दूसरे के साथ परिचय कराना है और इसके माध्यम से पूरा भारत भी नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति से परिचित होगा।

डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट-2020 की थीम

- डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट-2020 की थीम "द इमर्जिंग डिलेक्टिव डेस्टिनेशंस" (The Emerging Delightful Destinations) है, जो पर्यटन स्थलों को मजबूत और अधिक आकर्षक बनाने की बात करती है।

06 परिशुद्ध खेती के लिए सेंसर और सेंसिंग

चर्चा में क्यों

- हाल ही में आईसीएआर-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की ओर से 05 अक्टूबर, 2020 को वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक (वैभव) शिखर सम्मेलन-2020" के भाग के रूप में 'परिशुद्ध खेती' (Precision Agriculture) के अंतर्गत 'परिशुद्ध खेती के लिए सेंसर और सेंसिंग' (Sensors and Sensing for Precision Agriculture) विषय पर एक सत्र का आयोजन किया गया।

परिशुद्ध खेती के लिए सेंसर और सेंसिंग

- यह भारत सरकार की विदेशों और भारतीय वैज्ञानिकों/शिक्षाविदों के चिंतन, पद्धतियों, अनुसंधान एवं विकास की संस्कृति को सिलसिलेवार व्यवस्थित विमर्श और रचनात्मकक संवाद के जरिए एक साथ लाने तथा ठोस परिणामों के लिए रूपांतरण संबंधी शोध/अकादमिक संस्कृतति की योजना तैयार करने तथा आत्म निर्भर भारत के प्रयास को बल देने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के आधार को मजबूत बनाने की एक पहल है।

परिशुद्ध खेती (Precision Agriculture)

- परिशुद्ध खेती में डिजिटल कृषि प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके फसल की उत्पादकता में वृद्धि करने का प्रयास किया जाता है।
- परिशुद्ध खेती को सैटेलाइट फार्मिंग या स्थान विशिष्ट फसल प्रबंधन के रूप में भी जाना जाता है।
- परिशुद्ध खेती में कृषि उपज को अधिकतम बनाने हेतु उचित समय पर सटीक और उपयुक्त मात्रा में जल, उर्वरक, कीटनाशक आदि आगतों का अनुप्रयोग किया जाता है अर्थात सही समय और सही स्थान पर खेत में सही मात्रा में कृषि निविष्टियों का इस्तेमाल करना ही परिशुद्ध खेती है।
- परिशुद्ध खेती को इसके उपकरणों द्वारा संचालित किया जाता है। इन उपकरणों में शामिल हैं- सूचना एवं संचार तकनीक, वायरलेस संसर नेटवर्क, रोबोटिक्स, ड्रोन, वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी, जियोस्पेशियल मेथड्स और ऑटोमेटेड पोजिशनिंग सिस्टम इत्यादि।
- परिशुद्ध खेती तकनीक फसल उत्पादन की आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिरता में सुधार कर सकती है।
- परिशुद्ध खेती को विकसित देशों में व्यापक रूप से अपनाया जा चुका है किन्तु भारत में यह प्रारम्भिक दौर में ही है जिसके मुख्य कारण हैं- छोटे भूमि जोत, कमजोर अवसंरचना, किसानों में जोखिम लेने की क्षमता की कमी, सामाजिक-आर्थिक और जनसांख्यिकीय परिस्थितियाँ।

07 भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) और डी-एसआईआई

चर्चा में क्यों

- हाल ही में भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी), साधारण बीमा निगम (जीआईसी) और न्यू इंडिया एश्योरेंस (एनआईएसीएल) को घरेलू प्रणाली के लिहाज से महत्वपूर्ण बीमाकर्ता (Domestic Systemically Important InsurersD-SIIs) माना है।

प्रमुख बिन्दु

- भारत में बीमा क्षेत्र में भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी), साधारण बीमा निगम (जीआईसी) और न्यू इंडिया एश्योरेंस (एनआईएसीएल) का काफी अहम योगदान है। यही वजह है कि बीमा नियामक 'इरडा' ने इन कंपनियों के लिये नियामकीय निगरानी बढ़ाने का निर्णय लिया है और इन्हें महत्वपूर्ण बीमाकर्ता माना है।
- इरडा ने उक्त तीनों कंपनियों से उनके कंपनी संचालन का स्तर ऊपर उठाने को कहा है। इसके अलावा, उन्हें सभी प्रासंगिक जोखिमों की पहचान करने तथा स्वस्थ जोखिम प्रबंधन संस्कृति को बढ़ावा देने को भी कहा गया है।
- बीमा क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों में तेजी से वृद्धि हुई है और बीमाकर्ताओं में से कुछ के पास एक बड़ा बाजार हिस्सा है।

डी-एसआईआई (D-SIIs)

- डी-एसआईआई का फुल फार्म (full form) 'घरेलू प्रणाली के लिहाज से महत्वपूर्ण बीमाकर्ता' (Domestic Systemically Important Insurers D-SIIs) है।
- डी-एसआईआई ऐसे आकार, बाजार महत्व और घरेलू व वैश्विक अंतर-कनेक्टिविटी वाले बीमाकर्ताओं को कहा जाता है, जिनका संकट या विफलता घरेलू वित्तीय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण अव्यवस्था का कारण बन सकती है।
- भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) के मुताबिक, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था हेतु बीमा सेवाओं की निर्बाध उपलब्धता को लेकर डी-एसआईआई की निरंतर कार्यप्रणाली महत्वपूर्ण है।
- डी-एसआईआई हेतु निरीक्षण के नियम भी पहले से अधिक होंगे अर्थात उन्हें प्रासंगिक बनाया जाएगा।
- भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने जनवरी, 2019 में डी-एसआईआई से संबन्धित एक समिति का गठन किया था।

भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा)

- भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (Insurance Regulatory and Development Authority of India-IRDAI) का गठन वर्ष 1999 में बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के अंतर्गत किया गया था। इस प्रकार इरडा एक वैधानिक निकाय है।
- इरडा एक स्वायत्त संस्था है तथा इसका कार्यक्षेत्र भारत में बीमा और बीमा उद्योगों को विनियमित करना तथा उन्हें बढ़ावा देना है।
- इरडा का मुख्यालय हैदराबाद में है।

7 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न
(मुख्य परीक्षा हेतु)

01 वैक्सीन राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है? फार्मास्युटिकल कंपनियों और निकायों के द्वारा वैक्सीन के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? चर्चा करे।

02 बच्चों के विकास में भारतीय आंगनवाड़ी प्रणाली के योगदान एवं महत्व पर विस्तार से चर्चा कीजिए।

03 चतुर्भुज सुरक्षा संवाद (क्वाड) के बारे में बताते हुए, वर्तमान परिदृश्य में इसकी प्रासंगिकता का वर्णन कीजिए।

04 बाल शिक्षा के लिए मातृभाषा के महत्व पर चर्चा कीजिए, साथ ही भारत में बाल मातृभाषा नीति को लागू करने से सम्बंधित बाधाएं एवं समाधान का भी उल्लेख करें।

05 एक सामाजिक सशक्तिकरण उपकरण के रूप में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग के महत्त्व पर प्रकाश डालें।

06 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन भुखमरी एवं कुपोषण से निपटने के लिए किस प्रकार सहायक है? टिप्पणी करें।

07 लॉकडाउन के समय भारत में ई-लर्निंग व्यवस्था कहाँ तक कारगर साबित हुई है? विश्लेषण कीजिए।

7 महत्वपूर्ण तथ्य
(प्रारंभिक परीक्षा हेतु)

01

03

05

01 किस देश ने हानिकारक सात रसायनों को प्रतिबंधित करते हुए 'स्टॉकहोम समझौते' के समर्थन को मंजूरी दे दी?

भारत

02 किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 'डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम' की घोषणा की है?

गुजरात

03 किस देश ने एक हाइपरसोनिक-शिप क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है?

रूस

04 भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

एम. राजेश्वर राव

05 7 अक्टूबर को, इमैनुएल कारपेंटियर और जेनिफर ए. डूडना को रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2020 दिया गया। उन्होने किसकी खोज की?

एंजाइमों का विकास

06 हाल ही में, 'कोडाइकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी' चर्चा मे रही। यह किस राज्य में स्थित है?

तमिलनाडु

07 किस संस्थान ने 'उन्नत भारत अभियान' के तहत 5 गांवों को गोद लिया है?

भारतीय प्रबंधन संस्थान कोझीकोड

7 महत्वपूर्ण उक्तियाँ (निबंध तथा उत्तर लेखन में उपयोगी)

01 हो सकता है आप कभी ना जान सकें कि आपके काम का क्या परिणाम हुआ, लेकिन यदि आप कुछ करेंगे नहीं तो कोई परिणाम नहीं होगा।

महात्मा गांधी

02 आलसी व्यक्तियों के लिए भगवान अवतार नहीं लेते, वह मेहनती व्यक्तियों के लिए ही अवतरित होते हैं, इसलिए कार्य करना आरम्भ करें।

बाल गंगाधर तिलक

03 यदि मानव जाति किसी के द्वारा थोपे गए विचारों पर ध्यान न दे और अपने तर्क से सत्य का अनुसरण करे, तो उसकी उन्नति को कोई रोक नहीं सकता।

राजा राममोहन राय

04 अगर सफल और प्रतिष्ठित बनना है, तो झुकना सीखो। क्यूंकि जो झुकते नहीं, समय की हवा उन्हे झुका देती है।

ईश्वर चन्द्र विद्यासागर

05 तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुमको सब कुछ खुद अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है।

स्वामी विवेकानंद

06 अगर संघर्ष न रहे, किसी भी भय का सामना न करना पड़े, तब जीवन का आधा स्वाद ही समाप्त हो जाता है।

सुभाष चन्द्र बोस

07 सभी घरों में सर्वश्रेष्ठ घर वह है जहाँ एक अनाथ को प्यार और दया मिलता है।

पैगंबर मुहम्मद

ध्येय IAS
most trusted since 2003

AN INTRODUCTION

Dhyeya IAS, a decade old institution, was founded by Mr. Vinay Singh and Mr. Q.H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential realize their dreams which is evident from success stories of the previous years.

Quite a large number of students desirous of building a career for themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vastly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move my invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Coaching classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam, classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything you can only help him find it within himself.

DSDL Prepare yourself from distance

Distance learning Programme, DSDL, primarily caters the need for those who are unable to come to metros for economic or family reasons but have ardent desire to become a civil servant. Simultaneously, it also suits to the need of working professionals, who are unable to join regular classes due to increase in work load or places of their posting. The principal characteristic of our distance learning is that the student does not need to be present in a classroom in order to participate in the instruction. It aims to create and provide access to learning when the source of information and the learners are separated by time and distance. Realizing the difficulties faced by aspirants of distant areas, especially working candidates, in making use of the institute's classroom guidance programme, distance learning system is being provided in General Studies. The distance learning material is comprehensive, concise and memorizable in nature. Its aim is to make available almost all the relevant material on a subject at one place. Materials on all topics of General Studies have been prepared in such a way that, not even a single point will be missing. In other words, you will get all points, which are otherwise to be taken from 6-10 books available in the market / library. That means, DSDL study material is undoubtedly the most comprehensive and that will definitely give you added advantage in your Preliminary as well as Main Examination. These materials are not available in any book store or library. These materials have been prepared exclusively for the use of our students. We believe in our quality and commitment towards making these notes indispensable for any student preparing for Civil Services Examination. We adhere all pillars of Distance education.

Face to Face Centres

DELHI (MUKHERJEE NAGAR) : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068, **LUCKNOW (ALIGANJ)** 9506256789 | 7570009014, **LUCKNOW (GOMTI NAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

Live Streaming Centres

BIHAR: PATNA – 6204373873, 8334100961 | **CHANDIGARH** – 9216776070, 8591818500 | **DELHI & NCR** : FARIDABAD – 9711394350, 1294054621 | **GUJARAT**: AHMEDABAD - 9879113469 | **HARYANA**: HISAR – 9996887708, 9991887708, KURUKSHETRA – 8950728524, 8607221300 | **MADHYA PRADESH**: GWALIOR -9993135886, 9893481642, JABALPUR-8982082023, 8982082030, REWA–9926207755, 7662408099 | **MAHARASHTRA**: MUMBAI - 9324012585 | **PUNJAB**: PATIALA - 9041030070, LUDHIANA – 9876218943, 9888178344 | **RAJASTHAN**: JODHPUR - 9928965998 | **UTTARAKHAND**: HALDWANI-7060172525 | **UTTAR PRADESH**: ALIGARH – 9837877879, 9412175550, AZAMGARH - 7617077051, BAHRAICH - 7275758422, BAREILLY - 9917500098, GORAKHPUR - 7080847474, 7704884118, KANPUR - 7275613962, LUCKNOW (ALAMBAGH) - 7518573333, 7518373333, MORADABAD - 9927622221, VARANASI - 7408098888

dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

TRUEWORD
Quest for Wisdom

Price ₹ 40

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.com/hindi

ध्येयIAS most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

Subscribe Dhyeya IAS Email Newsletter
(ध्येय IAS ई-मेल न्यूजलेटर सब्स्क्राइब करें)

जो विद्यार्थी ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) से जुड़े हुये हैं और उनको दैनिक अध्ययन सामग्री प्राप्त होने में समस्या हो रही है | तो आप हमारेईमेल लिंक Subscribe कर ले इससे आपको प्रतिदिन अध्ययन सामग्री का लिंक मेल में प्राप्त होता रहेगा | **ईमेल से Subscribe करने के बाद मेल में प्राप्त लिंक को क्लिक करके पुष्टि (Verify) जरूर करें अन्यथा आपको प्रतिदिन मेल में अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं होगी |**

नोट (Note): अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अध्ययन सामग्री प्राप्त करनी है, तो आपको दोनों में अपनी ईमेल से Subscribe करना पड़ेगा | आप दोनों माध्यम के लिए एक ही ईमेल से जुड़ सकते हैं |

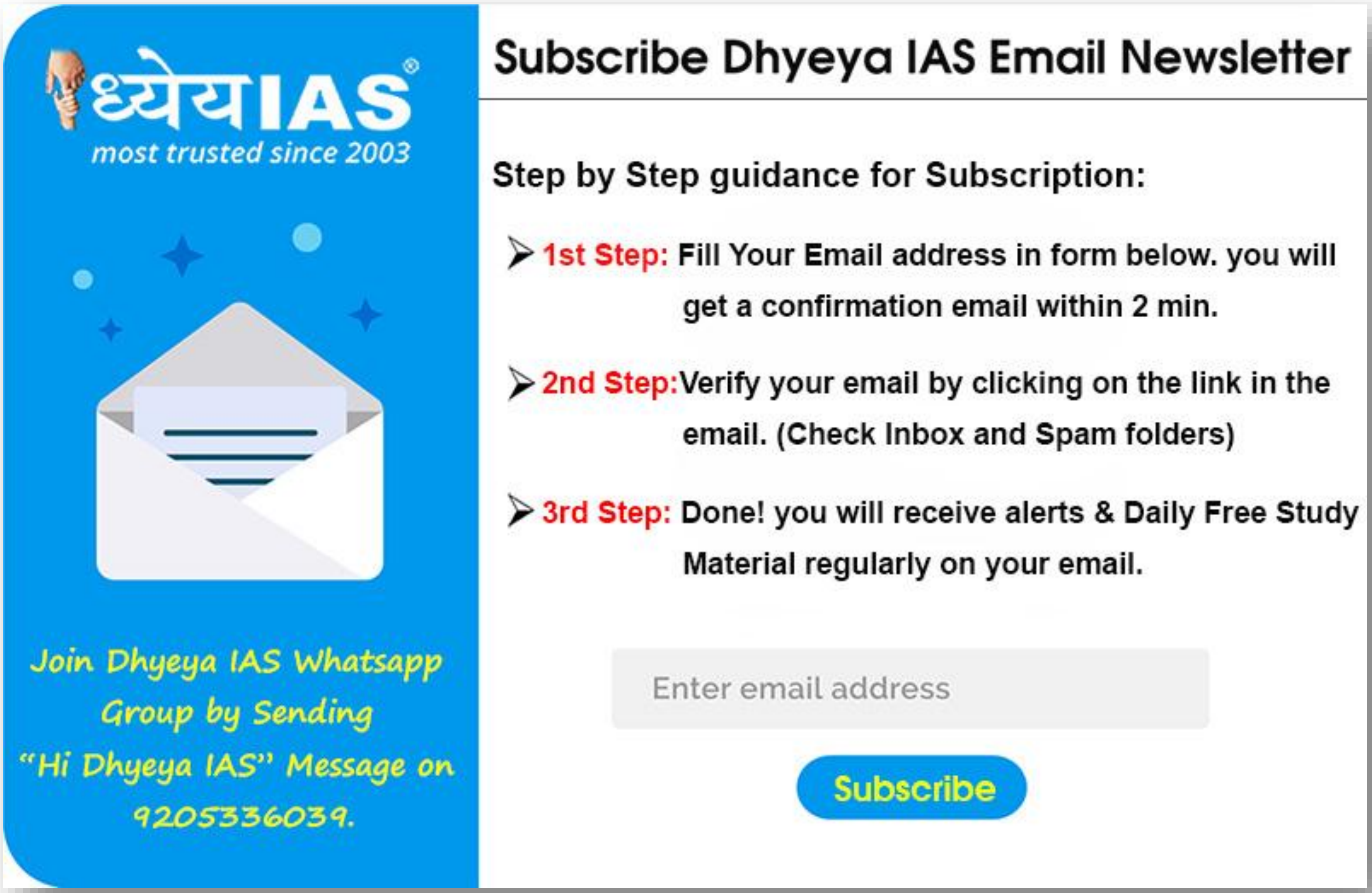

ध्येय IAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

ADMISSIONS OPEN

FOR NEW ONLINE BATCH

IAS PRE-CUM-MAINS

PCS

OPTIONAL

HINDI & ENGLISH MEDIUM

Call: 9205962002 9506256789 | Whatsapp: 9205274741 | Visit: dhyeyaias.com